

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016—चैत्र 19, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उर्झे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 2 से 19 फरवरी 2016 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21, 22 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उर्झे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उर्झे के अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-984-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री शीतला पटले, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उनीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला-गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1002-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस., संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1010-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला-गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. ई-1-93-2016-5-एक.—श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे (2012), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), जबलपुर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-927-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अध्यक, आयएएस., मुख्य कार्यपालन, अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड को दिनांक 6 से 31 जनवरी 2016 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अध्यक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अध्यक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. ई-5-886-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस., अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक, तेरह दिन का एक्स, इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-910-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. ई-1-90-2016-5-एक.—श्री संजय सिंह, भा.प्र.से. (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रशासक, यूएसओएफ, दूर संचार विभाग नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. ई-1-90-2016-5-एक.—श्री पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से (1992), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-100-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. मंजू शर्मा, वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के वित्त, लेखा एवं बजट शाखा का कार्य).	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3	श्री शमीम उद्दीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	—

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 11 से 18 अप्रैल 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-820-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री संतोष मिश्रा, आयएएस., कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 9 से 11 मार्च 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 का सार्वजनिक जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संतोष मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री मूलचंद वर्मा, अपर कलेक्टर, जिला सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सतना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संतोष मिश्रा द्वारा कलेक्टर, जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मूलचंद वर्मा कलेक्टर, जिला सतना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 एवं 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 2016 तक, पन्द्रह दिन का पितॄत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 एवं 8, 9, 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-912-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 4 से 20 अप्रैल 2016 तक, सत्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-921-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पंकज जैन, आयएएस., अपर संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल को दिनांक 8 से 16 मार्च 2016 तक नौ दिन का एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज जैन अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-957-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अमनबीर सिंह बैंस, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमनबीर सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-967-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सोमेश मिश्र, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर, जिला मण्डला को दिनांक 18 अप्रैल से 20 मई 2016 तक, तीनों दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15,

16, 17 एवं 21 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-979-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 14 मार्च से 21 मार्च तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-997-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सभाजीत यादव, आयएएस., उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सभाजीत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपायुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सभाजीत यादव अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सभाजीत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, आयएएस., अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम को दिनांक 9 से 13 मार्च 2016 तक की ITB Berlin की शासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 14 से 16 मार्च 2016 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1008-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री शमीम उद्दीन, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 3 से 22 मार्च 2016 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. ई-1-107-2016-5-एक.—श्री मालसिंह भयडिया, भाप्रसे, संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल जिनकी सेवाएं पूर्व से ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास है, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिमेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री मालसिंह भयडिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिमेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. ई-5-477-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 13 जुलाई 2016 से 3 अगस्त 2016 तक, बाइस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. ई-1-102-2016-5-एक.—इस विभाग का आदेश क्रमांक ई-1-102-2014-5-एक, दिनांक 23 दिसम्बर 2015 की तालिका-1 के अनुक्रमांक-1 जिसके द्वारा श्री आशीष सक्सेना को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया गया है, को एतदद्वारा संशोधित करते हुए उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भी घोषित किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से कार्यभार ग्रहण करने पर भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, चौबीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016

क्र. एफ 1(ए)151-2010-ब-2-दो.—श्री इशाद वली, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश 3 एवं 14-17 अप्रैल 2016 की विज्ञप्त अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर भागलपुर (बिहार) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री इशाद वली	स्वयं
2.	श्रीमती सूफिया फारूकी वली	पत्नी
3.	इजयान वली	पुत्र
4.	कु. इफराह अली	पुत्री

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016

फा. क्र. 3(ए)-2-2015-इक्कीस-ब(एक)-1200.—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राम गोपाल सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला छतरपुर को उनके द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1)(क) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करता है।

फा. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-1201.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 संपर्कित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक

सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को (नवीन पदस्थापना) पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के दिनांक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता हैः—

क्र.	नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)

- 1 श्री राजीव शर्मा जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ व्यालियर.
- 2 श्री हरिनिवास वाजपेयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया

(1)	(2)	(3)
3	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

फा. क्र. 3(बी)-01-2012-इक्कीस-ब(एक)-1152.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, चन्द्रेंगी, जिला अशोकनगर के आवेदन पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अपराह्न से स्वीकृत करता है।

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-1231.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को (नवीन पदस्थापना) पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता हैः—

क्र.	नाम	पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनि.)	विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट, जिला धार.	22-4-2018
2	श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.	23-4-2018
3	श्री देव नारायण पाटिल	राजस्टार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बैंच, जिला भोपाल.	4-5-2018
4	श्री लक्ष्मी शर्मा	विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट, जिला उज्जैन.	31-5-2018
5	श्री प्रह्लाद सिंह पाटीदार	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर	4-6-2018
6	श्री भागचंद मलैया	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ	30-6-2018

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(ए)-1-2005-इक्कीस-ब(एक)-1248.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक

से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

फा. क्र. 1(बी)-07-2004-इकीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री अंजीन प्रसाद तिवारी को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है।

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इकीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री बृजेश कुमार चौरसिया को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है।

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. एफ-7-5-2016-छः.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विजय दुबे, भोपाल को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोजालिया मिंज, अवर सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 881-988-2016-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूर्वी निमाड़, खण्डवा	खण्डवा	श्रीमती रेखा चंद्रवंशी, IIIrd CJ-& JMFC

No. 881-988-2016-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	East Nimar, Khandwa	Khandwa	Smt. Rekha Chandrawanshi, IIIrd CJ-1 & JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), म. प्र. अनुसूची

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 2702 /भू—अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 02/आ/82/14-15 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में डोब तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम डोब बामन्याखेड़ी एवं भगोरी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि—अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि डोब तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा—19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची—1

ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी तहसील जीरापुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			कुल योग
		सिंचित	अंसिचित		
1	2	3	4	5	
1	निजी भूमि (ग्राम डोब)	0.268	0.100	0.368	
	निजी भूमि (ग्राम बामन्याखेड़ी)	0.000	0.534	0.534	
	निजी भूमि (ग्राम भगोरी)	0.000	1.180	1.18	
	कुल योग :-	0.268	1.814	2.082	

(डोब तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम डोब तहसील जीरापुर, जिला—राजगढ़ म.प्र.

अनुसूची—2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम डोब की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	अंसिचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	जाल्या पिता नाथू जाती चमार नि. माचलपुर भूस्वामी	5/1/1/10/5	1.000	0.000	0.070	0.070
2	रघूवीर पिता दौला जाती कंजर नि. मल्हारगढ़	100/1	0.241	0.048	0.000	0.048
3	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	97/3	0.131	0.000	0.030	0.030
4	शिवसिंह पिता नन्दा जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	86	5.310	0.220	0.000	0.220
	कुल योग :-	क्रिया 5	6.682	0.268	0.100	0.368

अनुसूची-2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम बामन्याखेड़ी की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिवित	अंसिवित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	भंवरलाल, रामसिंह भेरु पिता काना, कंकूबाई, धापूबाई, गंगाबाई, सरदारबाई, पुत्री काना बदनबाई बेवा काना/मांगीलाल पिता धीसा जाती चमार नि. पोलखेड़ा भूस्वामी	110	0.874	0.000	0.064	0.064
2	देवीसिंह पिता पूरसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	144	0.428	0.000	0.040	0.040
3	नारायण द. पुत्र लाला जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	131	0.867	0.000	0.040	0.040
4	देवजी पिता हीरा जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	132/1	0.202	0.000	0.060	0.060
5	भेरु पिता हीरा जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	132/2	0.405	0.000	0.060	0.060
6	कालू पिता मोतीलाल जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	119/1	0.612	0.000	0.040	0.040
7	रामलाल, बालू पिता मांगीलाल जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	109	0.583	0.000	0.060	0.060
8	भेरुलाल पिता गुलाब जाति गुरुजर नि.ग्रा. भूस्वामी	104	0.926	0.000	0.060	0.060
9	बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	132/185/2/1	0.506	0.000	0.070	0.070
10	देवीलाल पिता देवजी गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी	119/2	0.521	0.000	0.040	0.040
कुल योग		कुल योग	3.924	0.000	0.534	0.534

अनुसूची-2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम भगोरी की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिवित	अंसिवित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कालूसिंह, भेजराज, ज्ञानसिंह, संतराम आ. मोतीलाल, पानबाई वि. मोतीलाल जाती गूजर नि. बामन्याखेड़ी भूस्वामी	326	0.486	0.000	0.040	0.040
		331/1/5	1.011	0.000	0.200	0.200
2	रोशन सिंह पिता कनीराम गूजर नि. भारुगढ़ भूस्वामी	309/18	2.000	0.000	0.240	0.240
3	मांगीलाल, भंवरिया, फूलचंद पिता मेहताब, संपतबाई आ. मेहताब जाती चमार नि. बामन्याखेड़ी भूस्वामी	309/1/8	6.070	0.000	0.480	0.480
4	नाथूलाल पिता मांगीलाल जाती गूजर नि. ग्रा. भ-स्वामी	330	8.104	0.000	0.220	0.220
		331/1/1				
		332				
		333				
		334				
कुल योग		कुल योग	17.671	0.000	1.180	1.180

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलाचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 2704-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मूँडला सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की दार्यों एवं बायीं नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मूँडला तालाब परियोजना की दार्यों नहर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम नरसिंहपुरा						
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	लालसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह	32/3 19	1.770 3.415	0.168 0.024	0.000 0.000	0.168 0.024
	योग	2	5.185	0.192	0.000	0.192
2	चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह	18/4	2.529	0.000	0.010	0.010
	योग	1	2.529	0.000	0.010	0.010
3	लालजी पिता मांगीलाल जाति सुतार नि. अमृतपुरा	18/5	1.012	0.000	0.174	0.174
	योग	1	1.012	0.000	0.174	0.174
4	नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. खाजला	11/1	1.012	0.000	0.291	0.291
	योग	1	1.012	0.000	0.291	0.291
	ग्राम नरसिंहपुरा का महायोग	5	9.738	0.192	0.475	0.667
मूँडला तालाब परियोजना की दार्यों नहर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम खाजला						
1	शिवसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.खाजला	205/2 200/1	0.500 0.253	0.000 0.000	0.061 0.159	0.061 0.159
	योग	2	0.753	0.000	0.220	0.220
2	लालजी पिता नारान, कंचनबाई बैवा नारान जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	200/2	0.240	0.090	0.000	0.090
	योग	1	0.240	0.090	0.000	0.090
3	करणसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	77/2	0.253	0.000	0.114	0.114
	योग	1	0.253	0.000	0.114	0.114
	ग्राम खाजला का महायोग	4	1.246	0.090	0.334	0.424

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
मूँडला तालाब परियोजना की दार्यी नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बड़दला						
1	बद्रीलाल पिता हीरालाल जाति रुवाला	210	1.708	0.584	0.000	0.584
	योग	1	1.708	0.584	0.000	0.584
2	जगन्नाथ, मुन्नालाल पिता भवरलाल, गोपीलाल राधाकिशन पिता रामा जाति चमार	159	1.050	0.000	0.010	0.010
	योग	1	1.050	0.000	0.010	0.010
3	शिवसिंह, देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रुवाला	171	0.860	0.000	0.072	0.072
		170	0.481	0.000	0.032	0.032
	योग	2	1.341	0.000	0.104	0.104
4	बापू पिता देवा जाति चमार निवासी अमृतपुरा	139/3/6	4.047	0.000	0.049	0.049
	योग	1	4.047	0.000	0.049	0.049
5	कालू बापू बनिया पिता देवा जाति चमार	219	1.808	0.060	0.000	0.060
	योग	1	1.808	0.060	0.000	0.060
6	लघनाथ पिता किशोर, रत्नीराम पिता सोलाल, बनेसिंह, बंशीलाल, हरिसिंह पिता मांग्या जाति गाड़री	220	1.586	0.329	0.000	0.329
	योग	1	1.586	0.329	0.000	0.329
7	देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रुवाला	211	0.670	0.139	0.000	0.139
	योग	1	0.670	0.139	0.000	0.139
8	बापूलाल पिता दोला जाति गाड़री	139/1/2	0.650	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.650	0.000	0.200	0.200
9	गोरीलाल पिता दोला जाति गाड़री	139/1/3	0.673	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.673	0.000	0.200	0.200
	ग्राम बड़दला का महायोग	10	13.533	1.112	0.563	1.675
मूँडला तालाब परियोजना की दार्यी नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम घोघडिया खुर्द						
1	लक्षण, शंकर, करनसिंह पिता रामसिंह, सुरजीबाई पिता रामसिंह जाति लोड़ा	150	0.310	0.200	0.000	0.200
	योग	1	0.310	0.200	0.000	0.200
2	गेंदीबाई पत्नि करणसिंह जाति लोड़ा	149/1	0.373	0.000	0.076	0.076
	योग	1	0.373	0.000	0.076	0.076
3	हीरालाल पिता देवीराम, 48 1/2 पैसा नारीलाल, प्रेमसिंह पिता चंद्रलाल, देवीसिंह पिता मांगीलाल हि. 1 1/2 पैसे गेंदीबाई बैवा चन्द्रलाल हि.50 पैसा जाति लोड़ा	149/2	0.747	0.152	0.000	0.152
	योग	113/2	0.193	0.055	0.000	0.055
	योग	2	0.940	0.207	0.000	0.207

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
4	रोड़जी पिता देवीराम जाति लोड़ा	149/3 113/3	0.373 0.386	0.076 0.114	0.000 0.000	0.076 0.114
	योग	2	0.759	0.190	0.000	0.190
5	धीसालाल, काशीराम, श्रीलाल, पूरीलाल, बापूलाल, चम्पीबाई, दरियावबाई पिता किशोर जाति लोड़ा	115	0.316	0.072	0.000	0.072
	योग	1	0.316	0.072	0.000	0.072
6	प्यारजी, देवचन्द, शिवसिंह, लालसिंह, उमरावबाई पिता जगन्नाथ धनिबाई बैवा जगन्नाथ जाति लोड़ा	114	0.316	0.000	0.096	0.096
	योग	1	0.316	0.000	0.096	0.096
7	कंवरलाल, लालसिंह पिता गंगाराम, रतनबाई पुत्री गंगाराम, उंकार पिता देवीसिंह सरजुबाई बैवा देवीसिंह जाति लोड़ा	113/1 112/1	0.193 0.395	0.055 0.051	0.000 0.000	0.055 0.051
	योग	2	0.588	0.106	0.000	0.106
8	रामप्रसाद, दुलेसिंह, धीसीबाई पिता प्यारजी चंपा, बंशी, गोपीया पिता देवा, जाति लोड़ा	86	0.266	0.038	0.000	0.038
	योग	1	0.266	0.038	0.000	0.038
9	लालसिंह, हजारीलाल, रंगलाल, प्रेमबाई, राधीबाई, अनारबाई, लीलाबाई पिता मदनलाल जाति लोड़ा	87/1	0.286	0.000	0.077	0.077
	योग	1	0.286	0.000	0.077	0.077
10	मांगीलाल पिता हरलाल जाति लोड़ा	87/2	0.287	0.000	0.077	0.077
	योग	1	0.287	0.000	0.077	0.077
11	उंकार पिता हरलाल जाति लोड़ा	87/3	0.287	0.076	0.000	0.076
	योग	1	0.287	0.076	0.000	0.076
	ग्राम घोघड़िया खुर्द का महायोग	14	4.728	0.889	0.326	1.215

मूँडला तालाब परियोजना की दार्यी नहर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम घोघड़िया कला

1	सेश, शुसीलबाई पिता गंगाराम, हीरालाल, पपू, दीपू, धूलीबाई, सुनीताबाई, पूजाबाई ना.बा. पिता गंगाराम स.साता सीताबाई बैवा गंगाराम जाति लोड़ा	118/1/8	1.500	0.151	0.000	0.151
	योग	1	1.500	0.151	0.000	0.151
2	काशीराम पिता अमरा जाति लोड़ा	12/6/8	1.000	0.000	0.106	0.106
	योग	1	1.000	0.000	0.106	0.106
3	प्रेमसिंह पिता चेनसिंह जाति लोड़ा	12/6/3	1.000	0.000	0.101	0.101
	योग	1	1.000	0.000	0.101	0.101
4	हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	12/6/5	1.000	0.000	0.076	0.076
	योग	1	1.000	0.000	0.076	0.076
5	बापूलाल, बनोसिंह, कैलाश, मेवाबाई, बसन्तीबाई, गजरीबाई, धापूबाई पिता कालू, सुन्दरबाई बैवा कालू किशनलाल पिता प्रभुलाल गोराबाई बैवा प्रभुलाल जाति बलाई	12/4 8/122	0.443 1.542	0.043 0.240	0.000	0.043 0.240
	योग	2	1.985	0.283	0.000	0.283

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
6	भंवरलाल, गोरीलाल, धूलजी पिता अमरा, लालसिंह, कमलसिंह, नाशयणसिंह, केसरसिंह पिता करणसिंह, रामबाबू, पण्डितसिंह ना.बा. स.प.माता गंदीबाई बैवा करणसिंह जाति लोड़ा	11/1 1/1	1.400 1.369	0.265 0.040	0.000 0.000	0.265 0.040
	योग	2	2.769	0.305	0.000	0.305
7	किशना पिता गंगाराम जाति लोड़ा	4	0.493	0.120	0.000	0.120
	योग	1	0.493	0.120	0.000	0.120
8	मांगीलाल, मांगीबाई पिता भंवरलाल, जाति लोड़ा	3	0.379	0.057	0.000	0.057
	योग	1	0.379	0.057	0.000	0.057
	ग्राम घोघड़िया कला का महायोग	10	10.126	0.916	0.283	1.199

मूँडला तालाब परियोजना की दार्यी नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम हिरनखेड़ा

1	संजयसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़	347	1.088	0.136	0.000	0.136
		344/1	0.330	0.140	0.000	0.140
		346/1	0.247	0.118	0.000	0.118
	योग	3	1.665	0.394	0.000	0.394
2	धीसालाल पिता भंवरलाल, धूलजी, हरचंद पिता छीतर जाति लोड़ा	314/1	0.372	0.000	0.120	0.120
	योग	1	0.372	0.000	0.120	0.120
3	पूनमचंद, हरिषचन्द, बंशीलाल, रामबाबू पिता किशनलाल जाति माती	320/11	1.707	0.000	0.101	0.101
	योग	1	1.707	0.000	0.101	0.101
4	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	320/12/1	0.197	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.197	0.000	0.051	0.051
5	ग्यारसीराम पिता गिरखारी, सुन्दरबाई, गंदीबाई, नाशयणीबाई, सम्पतबाई, केशरबाई, भंवरबाई पिता गिरखारी जाति लोड़ा	320/12/2	0.197	0.000	0.038	0.038
	योग	1	0.197	0.000	0.038	0.038
6	रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति माली	320/15	0.443	0.035	0.000	0.035
	योग	1	0.443	0.035	0.000	0.035
	ग्राम हिरनखेड़ा का महायोग	8	4.581	0.429	0.310	0.739

मूँडला तालाब परियोजना की दार्यी नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम टाण्डी कला

1	रामकैलाश, नौरंगबाई पिता धीसा जाति सुतार	291/2/1	0.376	0.008	0.000	0.008
		291/2/2	0.375	0.008	0.000	0.008
	योग	2	0.751	0.016	0.000	0.016
2	शम्भूलाल, धापूबाई पिता धीसा जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	291/2/3	0.375	0.008	0.000	0.008
	योग	1	0.375	0.008	0.000	0.008
3	रामसिंह पिता कालू जाति लोड़ा	258/3	0.949	0.000	0.064	0.064
	योग	1	0.949	0.000	0.064	0.064
4	भंवरिया पिता नंदा जाति लोड़ा	236/1	0.683	0.000	0.040	0.040
	योग	1	0.683	0.000	0.040	0.040

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
5	दरियावसिंह, गोरलाल, मोहरसिंह, चन्द्रसिंह, प्रेमबाई, केशरबाई, संतरबाई पिता अमरा कस्तूरीबाई बेवा अमरा जाति लोड़ा	97/1	1.505	0.112	0.000	0.112
	योग	1	1.505	0.112	0.000	0.112
6	शफीक खां पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान	35/2	2.000	0.064	0.000	0.064
	योग	1	2.000	0.064	0.000	0.064
7	धीसालाल, नाथूलाल पिता रोड़जी जाति लोड़ा	44	0.468	0.000	0.024	0.024
	योग	1	0.468	0.000	0.024	0.024
8	मनुबाई पति जगन्नाथ जाति सुतार	537	0.417	0.368	0.000	0.368
	योग	1	0.417	0.368	0.000	0.368
9	रामरतन पिता गणपत हि.71 रमेश राममूर्तीबाई पिता शंकरलाल हि.29 घे.जाति सुतार	535/2/1	1.707	0.260	0.000	0.260
	योग	1	1.707	0.260	0.000	0.260
10	हजारीलाल पिता जालम जाति माली नि.हिरनखेड़ा	535/2/2	0.822	0.000	0.260	0.260
	योग	1	0.822	0.000	0.260	0.260
11	बापूलाल, रोड़जी पिता धूलजी जगन्नाथ, फूलसिंह, रामचरण पिता गिरधारी जाति लोड़ा	535/1/2	1.771	0.260	0.000	0.260
	योग	1	1.771	0.260	0.000	0.260
12	बापूलाल, रोड़जी, नानूबाई, कस्तूरीबाई, प्रेमबाई पिता धूलजी, हीराबाई बेवा धूलजी, सरदारबाई पुत्री सौलाल	502/3 507/1 506/1	0.041 0.025 0.259	0.000 0.000 0.000	0.041 0.025 0.090	0.041 0.025 0.090
	योग	3	0.325	0.000	0.156	0.156
13	जगन्नाथ, रामचरण, फूलसिंह पिता गिरधारी, राधी, कान्ती, धापू पिता गिरधारी जाति लोड़ा	507/2 506/2	0.026 0.266	0.026 0.090	0.000 0.000	0.026 0.090
	योग	2	0.292	0.116	0.000	0.116
14	शिवनारायण पिता बापूलाल जाति दांगी नि.कालीपीठ	501/1 313 316/2/2 501/2	0.329 0.278 0.804 0.481	0.100 0.120 0.107 0.100	0.000 0.000 0.000 0.000	0.100 0.120 0.107 0.100
	योग	4	1.892	0.427	0.000	0.427
15	सरदारबाई पुत्री बापूलाल, हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति सुतार	546/2/1	1.518	0.315	0.000	0.315
	योग	1	1.518	0.315	0.000	0.315
16	देवबाई पिता छीतर जाति चमार	546/3/1	3.794	0.315	0.000	0.315
	योग	1	3.794	0.315	0.000	0.315
17	भागचन्द पिता किशना, सरदारबाई पुत्री बापूलाल, सुन्दरबाई बेवा बापूलाल, देवलीबाई पुत्री प्रभू जाति सुतार	377	0.329	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.329	0.000	0.060	0.060

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
18	जगन्नाथ, रामचरण, कन्हैयालाल, चम्पालाल, पांचूलाल पिता छित्र हि. 50 पैसे चेनसिंह, हरचनद पिता उदा शांतिबाई, मनीबाई, पुत्रिया उदा हि. 37 पैसे भंवरलाल पारीबाई, कालीबाई, कंचनबाई पिता श्रीलाल, मुखिया लीलाबाई, भूलीबाई बेवा श्रीलाल हि. 13 पैसे जाति लोड़ा	364	1.417	0.000	0.330	0.330
	योग	1	1.417	0.000	0.330	0.330
19	अमरसिंह, नबलसिंह पिता धीसालाल, जाति लोड़ा	363 260/1	0.986 0.054	0.000 0.000	0.104 0.054	0.104 0.054
	योग	2	1.040	0.000	0.158	0.158
20	हरलाल पिता किशना जाति लोड़ा	318/1	0.657	0.000	0.180	0.180
	योग	1	0.657	0.000	0.180	0.180
21	किशना पिता कनीराम, भेरसिंह पिता किशना जाति लोड़ा	319/2	0.051	0.000	0.018	0.018
	योग	1	0.051	0.000	0.018	0.018
22	बद्रीलाल पिता बाबरु जाति दांगी निवासी कालीपीठ	316/2/1 309/1/1/2 315/2	0.804 5.514 0.038	0.107 0.060 0.000	0.000 0.000 0.038	0.107 0.060 0.038
	योग	3	6.356	0.167	0.038	0.205
23	जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ	315/1 309/2/1 316/1	0.025 5.286 0.840	0.000 0.060 0.200	0.025 0.000 0.000	0.025 0.060 0.200
	योग	3	6.151	0.260	0.025	0.285
24	किशनलाल, दोलजी पिता धीसालाल, प्रेमबाई, पुत्री सौलाल, भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा	341 348/2/1 342	0.253 1.126 0.998	0.000 0.256 0.160	0.040 0.000 0.000	0.040 0.256 0.160
	योग	3	2.377	0.416	0.040	0.456
25	सरदार पिता भंवरलाल जाति लोड़ा निवासी रुग्नाथपुरा	344 345	0.683 0.190	0.140 0.000	0.000 0.080	0.140 0.080
	योग	2	0.873	0.140	0.080	0.220
26	भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	347/1/1	0.620	0.240	0.000	0.240
	योग	1	0.620	0.240	0.000	0.240
27	भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा	349/5	1.480	0.160	0.000	0.160
	योग	1	1.480	0.160	0.000	0.160
28	रामप्रसाद, गीताबाई पिता धीसा जाति सुतार	282/1/3	0.418	0.104	0.000	0.104
	योग	1	0.418	0.104	0.000	0.104

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
29	हीरा पिता मोती जाति सुतार	281/2	1.106	0.112	0.000	0.112
	योग	1	1.106	0.112	0.000	0.112
30	मोहम्मद रोशन पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान	283	2.338	0.216	0.000	0.216
	योग	1	2.338	0.216	0.000	0.216
31	बद्रीलाल, पप्पूलाल, लोला, कृष्ण, सुगन्धबाई पिता भंवरलाल, धापूराई बेवा भंवरलाल, शंकरलाल, भारीश, जगन्नाथ पिता मनना मु. रमकूराई बेवा मनना हि.1/3 रमकूराई पिता किशना हि.1/3 जगन्नाथ, रोड़ीबाई, नानुबाई पिता अमरसिंह, पुरीबाई बेवा अमरसिंह जाति चमार	274 271 272	0.557 1.050 1.173	0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.136	0.150 0.150 0.136
	योग	3	2.780	0.000	0.436	0.436
32	गला पिता कालू जाति लोड़ा	262 264	0.835 0.177	0.060 0.088	0.000 0.000	0.060 0.088
	योग	2	1.012	0.148	0.000	0.148
33	हरिसिंह पिता धीसालाल जाति लोड़ा	22	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.000	0.025	0.025
34	मेहताब पिता गंगाराम जाति लोड़ा	334 320 260/2	0.670 0.296 0.054	0.200 0.296 0.054	0.000 0.000 0.000	0.200 0.296 0.054
	योग	3	1.020	0.550	0.000	0.550
	ग्राम टाण्डी कला का महायोग	54	49.319	4.774	1.934	6.708

मूँडला तालाब परियोजना की बार्यों नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूँडला

1	देवीलाल पिता हजारीलाल जाति बेड़िया	223/1 219/3 220/2 215/318/1 215/1	0.101 0.429 0.140 0.013 0.143	0.046 0.093 0.057 0.013 0.051	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.046 0.093 0.057 0.013 0.051
	योग	5	0.826	0.260	0.000	0.260
2	सौरमबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया	254	0.339	0.004	0.000	0.004
	योग	1	0.339	0.004	0.000	0.004
3	फूलसिंह पिता सजनसिंहधापूराई पति फूलसिंह जाति बेड़िया	258/2	0.379	0.000	0.008	0.008
	योग	1	0.379	0.000	0.008	0.008
4	भंवरलाल पिता गंगोल्या जाति चमार	126	0.759	0.000	0.040	0.040
	योग	1	0.759	0.000	0.040	0.040
5	मोड़सिंह, हनुमन्तसिंह, चन्दनसिंह, दयालसिंह, इन्द्ररसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर	20 65/3 21	0.999 1.304 0.291	0.020 0.107 0.000	0.000 0.000 0.008	0.020 0.107 0.008
	योग	3	2.594	0.127	0.008	0.135

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
6	प्रेमसिंह, गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति बेड़िया	226 225	0.266 0.164	0.126 0.038	0.000 0.000	0.126 0.038
	योग	2	0.430	0.164	0.000	0.164
7	रामसिंह पिता प्रभूलाल जाति बेड़िया	194	0.228	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.228	0.000	0.065	0.065
8	गोरीलाल पिता गिरधारी जाति चमार	89	0.215	0.000	0.130	0.130
	योग	1	0.215	0.000	0.130	0.130
	ग्राम मूण्डला का महायोग	15	5.770	0.555	0.251	0.806

मूँडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम बड़दला

1	जगन्नाथ, देवरिंह पिता रामसिंह जाति गाड़री	1/2/3	0.840	0.000	0.101	0.101
	योग	1	0.840	0.000	0.101	0.101
2	कालू पिता देवा जाति चमार	1/2/2	0.625	0.000	0.276	0.276
	योग	1	0.625	0.000	0.276	0.276
	ग्राम बड़दला का महायोग	2	1.465	0.000	0.377	0.377

मूँडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम पीपलने पुरोहित

1	मांगीलाल, भंवरलाल, रायसिंह पिता धूलजी, गुलाबबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया	384	0.342	0.000	0.036	0.036
	योग	1	0.342	0.000	0.036	0.036
2	गोपीलाल पिता बाबरु जाति सौंधिया	383	1.063	0.000	0.204	0.204
	योग	1	1.063	0.000	0.204	0.204
3	छोटेलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	382	0.164	0.000	0.138	0.138
	योग	1	0.164	0.000	0.138	0.138
4	कंचनबाई बेवा मांगीलाल, देवरिंह ना.बा. पिता मांगीलालस.प. माता कंचनबाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया	375 369/2	0.506 0.930	0.000 0.000	0.180 0.174	0.180 0.174
	योग	2	1.436	0.000	0.354	0.354
5	गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	373 370 369/1	0.371 0.164 0.588	0.000 0.000 0.000	0.180 0.104 0.174	0.180 0.104 0.174
	योग	3	1.123	0.000	0.458	0.458
6	रामकिशन पिता रामसिंह जाति कुम्हार	349	0.379	0.000	0.204	0.204
	योग	1	0.379	0.000	0.204	0.204
7	देवेन्द्रकुमार, पप्पू रामीबाई, रजनीबाई पिता चन्द्र, सुमित्राबाई बेवा चन्द्र, धूलजी, रतन पिता हिरादास जाति बैरागी	319 321	0.329 0.101	0.000 0.000	0.192 0.060	0.192 0.060
	योग	2	0.430	0.000	0.252	0.252
8	अनारजी पिता रामलाल जाति सौंधिया	346	0.569	0.000	0.036	0.036
	योग	1	0.569	0.000	0.036	0.036

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
9	बनेसिंह, मांगीलाल पिता पूरजी, जाति सौंधिया	322/1/1	0.036	0.000	0.036	0.036
	योग	1	0.036	0.000	0.036	0.036
10	मोतीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	324/1	0.143	0.000	0.080	0.080
	योग	1	0.143	0.000	0.080	0.080
11	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	324/2	0.143	0.000	0.080	0.080
	योग	1	0.143	0.000	0.080	0.080
12	इन्द्रसिंह, हरिसिंह, शिवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, नौरंगबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया	324/3	0.144	0.000	0.080	0.080
	योग	1	0.144	0.000	0.080	0.080
13	जुझारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	323	0.455	0.000	0.204	0.204
		343	0.215	0.000	0.204	0.204
	योग	2	0.670	0.000	0.408	0.408
14	पर्वत पिता रामलाल जाति सौंधिया	344/1/3	0.035	0.015	0.000	0.015
		355/4/3	0.110	0.000	0.035	0.035
		417/1/3	0.154	0.019	0.000	0.019
	योग	3	0.299	0.034	0.035	0.069
15	लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया	344/2	0.078	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.078	0.000	0.045	0.045
16	प्यारजी पिता छीता जाति कुम्हार	424	0.304	0.048	0.000	0.048
	योग	1	0.304	0.048	0.000	0.048
17	करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया	344/4	0.104	0.045	0.000	0.045
	योग	1	0.104	0.045	0.000	0.045
18	वृजकिशोर पिता मोतीलाल जाति ब्रह्मण निवासी राजगढ़	354	1.846	0.000	0.075	0.075
	योग	1	1.846	0.000	0.075	0.075
19	किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया	355/1	0.108	0.000	0.107	0.107
		360/3	0.617	0.000	0.180	0.180
		344/3	0.105	0.000	0.045	0.045
		417/3	0.098	0.000	0.057	0.057
		416/3	0.129	0.000	0.013	0.013
	योग	5	1.057	0.000	0.402	0.402
20	लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया	355/2	0.108	0.000	0.106	0.106
		417/2	0.098	0.000	0.057	0.057
		416/2	0.128	0.000	0.013	0.013
	योग	3	0.334	0.000	0.176	0.176
21	करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया	355/3	0.108	0.000	0.106	0.106
		417/4	0.098	0.000	0.057	0.057
		416/4	0.128	0.000	0.014	0.014
	योग	4	0.334	0.000	0.177	0.177

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्का	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
22	कालू पिता रामलाल जाति सौंधिया	344/1/2 355/4/2 417/1/2	0.035 0.110 0.154	0.015 0.000 0.019	0.000 0.035 0.000	0.015 0.035 0.019
	योग	3	0.299	0.034	0.035	0.069
23	प्यारजी पिता छीता, कालू पिता खुबा, बापूलाल, दरियाबाई, केशरबाई, धापूबाई, शैतानबाई पिता देवा जाति कुम्हार	421 422	1.479 1.037	0.280 0.120	0.000 0.000	0.280 0.120
	योग	2	2.516	0.400	0.000	0.400
24	नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया	344/1/1 355/4/1 417/1/1 416/1	0.035 0.111 0.080 0.129	0.015 0.000 0.019 0.000	0.000 0.036 0.000 0.014	0.015 0.036 0.019 0.014
	योग	4	0.355	0.034	0.050	0.084
25	मांगीलाल पिता पूरजी, न्यादीबाई बेवा पूरजी, सौरमबाई बेवा बनशीलाल जाति सौंधिया	322/1/2	0.071	0.000	0.071	0.071
	योग	1	0.071	0.000	0.071	0.071
	ग्राम पीपलबे पुरोहित का महायोग	47	14.239	0.595	3.432	4.027

मूँडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम हिरनखेड़ी

1	बापू पिता शंभू जाति नाई	483/2	1.597	0.232	0.000	0.232
	योग	1	1.597	0.232	0.000	0.232
2	बापू, जानीबाई, प्रेमबाई, कमलाबाई, धापूबाई पिता शंभू जाति नाई	482 484 480 479 477 485	0.013 0.329 0.013 0.291 0.168 0.354	0.000 0.060 0.000 0.060 0.000 0.244	0.005 0.060 0.013 0.060 0.168 0.244	0.005 0.060 0.013 0.060 0.168 0.244
	योग	6	1.168	0.532	0.018	0.550
3	दिनेश पिता बापूलाल जाति नाई	512 511 515	0.051 0.911 1.037	0.048 0.345 0.192	0.000 0.000 0.000	0.048 0.345 0.192
	योग	3	1.999	0.585	0.000	0.585
4	केलाश पिता पूरनभारती जाति गुंसाई	489	0.342	0.000	0.044	0.044
	योग	1	0.342	0.000	0.044	0.044
5	वीरा पिता धूमजी, नंदा पिता सोलाल, सेठजी, साबल्या पिता भूरली जाति लोड़ा	496	0.417	0.000	0.184	0.184
	योग	1	0.417	0.000	0.184	0.184
6	रायरसीराम पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	498/1	0.264	0.000	0.046	0.046
	योग	1	0.264	0.000	0.046	0.046
7	राधाकिशन पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	498/2	0.090	0.000	0.046	0.046
	योग	1	0.090	0.000	0.046	0.046

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
8	मांगीलाल, भवरलाल, दीवानसिंह, मांगीबाई ना.बा. पिता बंशीलाल, सर.माता गुलाबबाई बैवा बंशीलाल, कांतीबाई पिता बंशीलाल जाति लोड़ा	500/1	0.367	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.367	0.000	0.051	0.051
9	रोड्जी, मोरमबाई पिता रघनाथ जाति लोड़ा	500/2	0.367	0.049	0.000	0.049
	योग	1	0.367	0.049	0.000	0.049
10	मोती पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/1	0.410	0.040	0.000	0.040
	योग	1	0.410	0.040	0.000	0.040
11	नाथू पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/2	0.095	0.040	0.000	0.040
	योग	1	0.095	0.040	0.000	0.040
12	कालू पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/3	0.285	0.040	0.000	0.040
	योग	1	0.285	0.040	0.000	0.040
13	गुलाबबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार	495	0.987	0.000	0.192	0.192
	योग	1	0.987	0.000	0.192	0.192
14	रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	501/4	0.357	0.126	0.000	0.126
		501/2	0.357	0.126	0.000	0.126
	योग	2	0.714	0.252	0.000	0.252
15	लालसिंह, बनेसिंह पिता रामसिंह, जाति लोड़ा	502/3	0.322	0.036	0.000	0.036
		502/1	0.322	0.036	0.000	0.036
	योग	2	0.644	0.072	0.000	0.072
16	रामसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा	516/3	1.881	0.000	0.180	0.180
	योग	1	1.881	0.000	0.180	0.180
17	दोला पिता भोना जाति लोड़ा	519	0.784	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.784	0.000	0.060	0.060
18	राजबूबाई पति करणसिंह जाति लोड़ा	520/1	0.342	0.000	0.072	0.072
	योग	1	0.342	0.000	0.072	0.072
19	पारीबाई पति बद्रीलाल जाति लोड़ा	520/2	0.341	0.000	0.072	0.072
	योग	1	0.341	0.000	0.072	0.072
20	मांगीलाल पिता रामा जाति सुतार	533/1	0.177	0.000	0.048	0.048
	योग	1	0.177	0.000	0.048	0.048
21	बद्रीलाल पिता रामा जाति सुतार	533/2	0.177	0.000	0.048	0.048
	योग	1	0.177	0.000	0.048	0.048
22	बंशीलाल पिता रामा जाति सुतार	533/3	0.177	0.000	0.048	0.048
	योग	1	0.177	0.000	0.048	0.048

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
23	बापूलाल पिता रामा जाति सुतार योग	533/4 1	0.177 0.177	0.000 0.000	0.048 0.048	0.048 0.048
24	गोरीलाल पिता रतीराम जाति लोड़ा योग	532 1	0.582 0.582	0.000 0.000	0.168 0.168	0.168 0.168
25	प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा योग	529/2 1	1.359 1.359	0.000 0.000	0.228 0.228	0.228 0.228
26	मांगीलाल, धूलजी, रमेश, बापू दरयावासिंह पिता गोपीलाल मुख्या रुपावाई वि.गोपीलाल जाति लोड़ा योग	637/1 1	0.082 0.082	0.000 0.000	0.054 0.054	0.054 0.054
27	रत्ता पिता हरलाल जाति लोड़ा योग	637/2 1	0.082 0.082	0.000 0.000	0.054 0.054	0.054 0.054
28	रुपा पिता परसा जाति लोड़ा योग	636/1 635/1 635/3 635/4 636/2 5	0.189 0.367 0.367 0.154 0.190 1.267	0.064 0.150 0.057 0.000 0.064 0.335	0.000 0.000 0.000 0.154 0.000 0.154	0.064 0.150 0.057 0.154 0.064 0.489
29	भंवरलाल, रामप्रसाद, नारायण, कलाबाई पिता परसा जाति लोड़ा योग	636/3 635/2 618/2 631/2 4	0.190 0.367 0.310 0.060 0.927	0.064 0.057 0.000 0.000 0.121	0.000 0.000 0.162 0.060 0.222	0.064 0.057 0.162 0.060 0.343
30	प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा योग	623/1 1	0.430 0.430	0.076 0.076	0.000 0.000	0.076 0.076
31	रोड़जी, मांगीलाल पिता गब्बा जाति चमार योग	623/2 1	0.430 0.430	0.000 0.000	0.076 0.076	0.076 0.076
32	रामचरण पिता पुन्या मुख्या हीरबाई बैवा पुन्या जाति चमार योग	623/3 1	0.430 0.430	0.000 0.000	0.076 0.076	0.076 0.076
33	प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा योग	625/1 624/1 2	0.236 0.064 0.300	0.000 0.000 0.000	0.030 0.064 0.094	0.030 0.064 0.094
34	पन्ना पिता छीता जाति लोड़ा योग	625/2 624/2 2	0.236 0.064 0.300	0.000 0.000 0.000	0.030 0.064 0.094	0.030 0.064 0.094
35	गोरखन पिता छीता जाति लोड़ा योग	625/3 624/3 2	0.236 0.064 0.300	0.000 0.000 0.000	0.030 0.064 0.094	0.030 0.064 0.094

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
36	चंदा पिता भीमा जाति लोड़ा योग	621/1 1	1.265 1.265	0.000 0.000	0.024 0.024	0.024
37	रामसिंह, छोटिया पिता भीमा जाति लोड़ा योग	621/2 620 2	0.443 0.544 0.987	0.036 0.120 0.156	0.000 0.000 0.000	0.036 0.120 0.156
38	मांगीलाल, कन्हैयालाल, करणसिंह पिता धूल्या, ग्यारसीबाई बेवा धूल्या जाति लोड़ा योग	619/1 619/3 2	0.212 0.212 0.424	0.059 0.058 0.117	0.000 0.000 0.000	0.059 0.058 0.117
39	रामप्रसाद, नारायण पिता परसा जाति लोड़ा योग	616/3 1	0.253 0.253	0.000 0.000	0.096 0.096	0.096
40	भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा योग	616/2/1 1	0.300 0.300	0.000 0.000	0.045 0.045	0.045
41	देवा पिता नाथू जाति लोड़ा योग	614 1	0.114 0.114	0.000 0.000	0.114 0.114	0.114
42	देवीसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा योग	601/1/1 1	0.119 0.119	0.037 0.037	0.000 0.000	0.037 0.037
43	चेनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा योग	601/1/2 1	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037
44	अर्जुन पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा योग	601/1/3 1	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037
45	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा योग	601/1/4 1	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037
46	अमरसिंह पिता बाबरू जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह योग	604/2 1	0.474 0.474	0.000 0.000	0.336 0.336	0.336
47	रामलाल पिता कन्हैयालाल जाति लोड़ा योग	601/2 599/2 2	0.590 0.139 0.729	0.000 0.000 0.000	0.066 0.066 0.132	0.066 0.066 0.132
48	मांगीलाल, भंवरलाल, रायसिंह, गीताबाई, गुलाबबाई पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.पीपलबेह योग	605 1	0.696 0.696	0.000 0.000	0.195 0.195	0.195
49	गोरीलाल पिता मोहनलाल जाति लोड़ा योग	601/3 599/3 2	0.590 0.139 0.729	0.066 0.066 0.132	0.000 0.000 0.000	0.066 0.066 0.132
50	गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.पीपलबेह योग	604/3 1	0.475 0.475	0.000 0.000	0.468 0.468	0.468

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
51	हरीसिंह, रमेश, मोतीलाल, लीलाबाई पिता लक्ष्मण, हीराबाई बैवा लक्ष्मण जाति लोड़ा	619/2 619/4	0.212 0.212	0.000 0.000	0.058 0.059	0.058 0.059
	योग	2	0.424	0.000	0.117	0.117
	ग्राम हिरनखेड़ी का महायोग	75	27.751	2.816	4.109	6.925
मुंडला तालाब परियोजना की बार्यां नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम भवानीपुरा खुर्द						
1	मुंशीलाल, गोरीलाल, रामकिशन, राजू, रमेश, लीलाबाई, कमलाबाई, नोरगबाई, शैतानबाई पिता मांगीलाल मुजिया पानीबाई बैवा मांगीलाल जाति लोड़ा	201 203 189	0.266 0.607 0.961	0.000 0.000 0.000	0.030 0.060 0.114	0.030 0.060 0.114
	योग	3	1.834	0.000	0.204	0.204
2	भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा	200 205/2 204	0.342 0.270 1.290	0.090 0.000 0.342	0.000 0.045 0.045	0.090 0.045 0.342
	योग	3	1.902	0.432	0.045	0.477
3	मांगीलाल पिता धीसालाल जाति लोड़ा	32/1	0.114	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.114	0.000	0.060	0.060
4	शंकरलाल, नगा पिता कनीराम, मेरथीबाई बैवा कनीराम जाति लोड़ा	42	0.126	0.000	0.030	0.030
	योग	1	0.126	0.000	0.030	0.030
5	अयोध्याबाई बैवा मदनलाल, हेमराज पिता मदनलाल, रमेश, बापूलाल, श्यामाबाई पिता धन्नालाल, भूरीबाई बैवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण	98/2 29/1/2	0.038 0.455	0.015 0.090	0.000 0.000	0.015 0.090
	योग	2	0.493	0.105	0.000	0.105
6	मुंशीलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	205/1	0.540	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.540	0.000	0.045	0.045
7	रायसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	180/2	0.651	0.000	0.144	0.144
	योग	1	0.651	0.000	0.144	0.144
8	सूरजबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया	181/2/1	0.759	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.759	0.000	0.045	0.045
9	पानीबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया	181/2/2	0.759	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.759	0.000	0.045	0.045
10	भंवरलाल पिता धूलजी जाति सौंधिया	180/1 181/1/3/2	0.450 0.100	0.000 0.000	0.066 0.087	0.066 0.087
	योग	2	0.550	0.000	0.153	0.153
11	नवलसिंह पिता जगन्नथ जाति राजपूत	181/1/3/1	0.506	0.000	0.087	0.087
	योग	1	0.506	0.000	0.087	0.087

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
12	शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	170/2	1.144	0.000	0.036	0.036
	योग	1	1.144	0.000	0.036	0.036
13	मोकजी पिता हीरालाल, कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह, मांगीबाई, बादामबाई, कान्तीबाई पिता फूलसिंह, शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह, भावसिंह, मोतीलाल, सम्पतबाई, गुलाबबाई पिता दोला, भंवरलाल, नाशयण, दरियावसिंह, जतनबाई, लाङबाई पिता जगन्नाथ, नूरंगबाई बेवा जगन्नाथ, अनारसिंह, गंगाराम, बापूलाल, प्यारजी, प्रेमसिंह पिता रामलाल, केसरबाई बेवा रामलाल हि. 1/2 मांगीलाल कलाबाई पिता भेहताब हि. 1/2 जाति सौंधिया	157/220	1.480	0.000	0.216	0.216
	योग	1	1.480	0.000	0.216	0.216
14	गंगाराम पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	170/1 169	0.942 0.202	0.180 0.180	0.000 0.000	0.180 0.180
	योग	2	1.144	0.360	0.000	0.360
15	रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण	29/2	0.455	0.168	0.000	0.168
	योग	2	0.455	0.168	0.000	0.168
16	रमेश, बापूलाल, श्यामाबाई पिता धन्नालाल, भूरीबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण	66/3	0.721	0.100	0.000	0.100
	योग	1	0.721	0.100	0.000	0.100
17	बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण	29/1/1 98/1	0.228 0.038	0.180 0.015	0.000 0.000	0.180 0.015
	योग	2	0.266	0.195	0.000	0.195
18	पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	36/2 37/2 33/2	0.177 0.024 0.133	0.000 0.000 0.000	0.210 0.024 0.060	0.210 0.024 0.060
	योग	3	0.334	0.000	0.294	0.294
19	बापूलाल, प्रेमसिंह, फूलसिंह, चम्पालाल, दरियाबबाई, सोनाबाई, गीताबाई पिता गंगाराम, केसरबाई बेवा गंगाराम जाति लोड़ा	102 67 68	0.316 0.911 0.030	0.000 0.000 0.000	0.080 0.090 0.030	0.080 0.090 0.030
	योग	3	1.257	0.000	0.200	0.200
20	मोतीलाल, भावसिंह पिता दोला जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	101	0.405	0.000	0.090	0.090
	योग	1	0.405	0.000	0.090	0.090
21	मोकजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	65/1	0.101	0.000	0.075	0.075
	योग	2	0.101	0.000	0.075	0.075
22	कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	100/2 65/2	0.329 0.101	0.000 0.000	0.080 0.075	0.080 0.075
	योग	2	0.430	0.000	0.155	0.155
23	मांगीलाल पिता किशन जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	62/224/1	0.203	0.000	0.050	0.050
	योग	1	0.203	0.000	0.050	0.050
	ग्राम भवानीपुरा खुर्द का महायोग	38	16.174	1.360	1.974	3.334

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्खा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
मूँडला तालाब परियोजना की बार्यां नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रामपुरिया						
1	गोरधनसिंह, कहौयालाल पिता दोलजी जाति लोड़ा	200	0.936	0.000	0.090	0.090
	योग	1	0.936	0.000	0.090	0.090
2	नानीलाल, मोडसिंह, कस्तूरीबाई, गुलाबबाई, प्रेमबाई, जतनबाई, शांतिबाई पिता धन्ना, मथरीबाई बेवा धन्ना, रमेश, पुष्पाबाई पिता भंवरलाल, कंचनबाई बेवा भंवरलाल जाति लोड़ा	201/1	0.683	0.000	0.120	0.120
	योग	1	0.683	0.000	0.120	0.120
	ग्राम रामपुरिया का महायोग	2	1.619	0.000	0.210	0.210
मूँडला तालाब परियोजना की बार्यां नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम ऊँचाखेड़ा						
1	चन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत	132/3	0.253	0.000	0.018	0.018
	योग	1	0.253	0.000	0.018	0.018
2	दूंगरसिंह, बृजराजसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत	210/1	0.911	0.000	0.004	0.004
	योग	1	0.911	0.000	0.004	0.004
3	जसवंतसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि. कलीखेड़ा	25	1.581	0.000	0.016	0.016
	योग	1	1.581	0.000	0.016	0.016
4	मोहनसिंह पिता धीरजसिंह जाति राजपूत	104/1	0.097	0.000	0.045	0.045
	योग	1	0.097	0.000	0.045	0.045
5	रूपसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	93/3 97 104/3	0.515 0.120 0.045	0.000 0.000 0.000	0.040 0.120 0.045	0.040 0.120 0.045
	योग	3	0.680	0.000	0.205	0.205
6	प्रहलादसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	103	0.190	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.190	0.000	0.060	0.060
7	रघुवीरसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	98 104/2	0.228 0.045	0.000 0.000	0.020 0.045	0.020 0.045
	योग	2	0.273	0.000	0.065	0.065
8	हरीसिंह, मोहनसिंह पिता जवाहरसिंह जाति राजपूत	99	0.202	0.000	0.030	0.030
	योग	1	0.202	0.000	0.030	0.030
9	श्री मति कैलाश कुवर पति नवलसिंह जाति राजपूत	96/1	0.089	0.000	0.020	0.020
	योग	1	0.089	0.000	0.020	0.020
10	अन्तर कुवर बेवा शम्भूसिंह, देवराजसिंह, शिवराजसिंह, महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	133/1	0.126	0.022	0.000	0.022
	योग	1	0.126	0.022	0.000	0.022
11	हरिसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कलीखेड़ा	26	1.151	0.000	0.040	0.040
	योग	1	1.151	0.000	0.040	0.040
	ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग	14	5.553	0.022	0.503	0.525
मूँडला तालाब परियोजना की बार्यां नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कलीखेड़ा						
1	रामकरण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम उदपुरिया	1/4	2.529	0.000	0.660	0.660
	योग	1	2.529	0.000	0.660	0.660

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
2	कान्ताबाई पिता शम्भूलाल, प्रेमबाई शीलाबाई, चन्द्रबाई, ताराबाई पिता शम्भूलाल, दुरगेश, सन्तोष, सूरजसिंह ना.वा. पिता शम्भूलाल कमलबाई पिता भंवरलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्थानी	1/5	5.058	0.000	0.600	0.600
	योग	1	5.058	0.000	0.600	0.600
	ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग	2	7.587	0.000	1.260	1.260

मूँडला तालाब परियोजना की बारी नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम उदपुरिया

1	हरिसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया	66/2/2/1	1.206	0.000	0.070	0.070
	योग	1	1.206	0.000	0.070	0.070
2	बीरम पिता रूपसिंह, मांगीबाई बेवा रूपसिंह जाति सौंधिया	65/3	0.164	0.000	0.120	0.120
	योग	1	0.164	0.000	0.120	0.120
3	मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम कलीखेड़ा	60/2	0.759	0.000	0.175	0.175
	योग	1	0.759	0.000	0.175	0.175
4	हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/3	0.190	0.000	0.033	0.033
	योग	1	0.190	0.000	0.033	0.033
5	पप्पसिंह, रघुवीरसिंह, मंजूबाई पिता नारायणसिंह कचनबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया	56/1/1	0.189	0.033	0.000	0.033
	योग	1	0.189	0.033	0.000	0.033
6	बनेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/2	0.190	0.000	0.033	0.033
	योग	1	0.190	0.000	0.033	0.033
7	रतनसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/4	0.190	0.000	0.033	0.033
	योग	1	0.190	0.000	0.033	0.033
8	जगदीश पिता करणसिंह जाति सौंधिया	56/2	0.379	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.379	0.000	0.065	0.065
9	राजू पिता करणसिंह व.मु. रतनबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया	56/3	0.380	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.380	0.000	0.065	0.065
10	मांगीबाई बेवा मावसिंह, छोटूलाल, रघुवीरसिंह, मुकेश पिता मावसिंह, रतनबाई, ममताबाई, मनोरवाई पिता मावसिंह	54	2.795	0.000	0.420	0.420
	योग	1	2.795	0.000	0.420	0.420
11	गोखनसिंह, बेजनाथसिंह पिता केशरसिंह महेश्वरसिंह, लेखराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत	57	0.734	0.000	0.040	0.040
	योग	1	0.734	0.000	0.040	0.040
12	गुलाबचन्द पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण	53/1	0.396	0.060	0.000	0.060
	योग	1	0.396	0.060	0.000	0.060
13	राजेश पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण	53/2	0.396	0.060	0.000	0.060
	योग	1	0.396	0.060	0.000	0.060
14	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह दत्तक पुत्र कालू जाति सौंधिया	36	1.974	0.000	0.420	0.420
	योग	1	1.974	0.000	0.420	0.420
15	प्रेमसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	38 40	0.582 5.450	0.210 0.540	0.000 0.000	0.210 0.540
	योग	2	6.032	0.750	0.000	0.750

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
16	प्रेमसिंह, यारजी, धीरपसिंह पिता बापूलाल, अनारबाई, बादामबाई, रत्नबाई पुत्रिया बापूलाल मु. रोड़ीबाई बेवा बापूलाल, देवसिंह पिता बेलसिंह जाति सौंदिया	43	0.734	0.150	0.000	0.150
		42	0.481	0.030	0.000	0.030
		41	0.329	0.270	0.000	0.270
	योग	3	1.544	0.450	0.000	0.450
17	मोड़सिंह पिता धूलजी, काशीबाई पति मोड़सिंह जाति चमार नि. पड़िया	88/1	1.463	0.000	0.300	0.300
	योग	1	1.463	0.000	0.300	0.300
18	हीरालाल पिता धूलजी, कमलबाई पति हीरालाल जाति चमार नि.पड़िया	88/2	1.463	0.000	0.050	0.050
	योग	1	1.463	0.000	0.050	0.050
19	राधेश्याम पिता फूलसिंह जाति भील	89/2	1.800	0.150	0.000	0.150
	योग	1	1.800	0.150	0.000	0.150
20	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील	89/1	1.800	0.000	0.300	0.300
	योग	1	1.800	0.000	0.300	0.300
21	रमेश पिता प्रभू धापूबाई पति रमेश जाति चमार नि. पड़िया	94/1	1.770	0.000	0.420	0.420
	योग	1	1.770	0.000	0.420	0.420
22	कालू पिता धूलजी, नारायणीबाई पति कालू जाति चमार नि.पड़िया	94/2	0.180	0.000	0.180	0.180
	योग	1	0.180	0.000	0.180	0.180
	ग्राम उद्पुरिया का महायोग	25	25.994	1.503	2.724	4.227

मूँडला तालाब परियोजना की बारी नहर में शेष प्रभावित भूमि :— पड़िया जागीर

1	रमबाबू पिता बद्रीलाल मु. धापूबाई बेवा बद्रीलाल जाति नाई	340	1.743	0.000	0.540	0.540
	योग	1	1.743	0.000	0.540	0.540
2	हजारीलाल पिता कंवरलाल जाति गाड़री	344/1	2.000	0.400	0.000	0.400
	योग	1	2.000	0.400	0.000	0.400
	ग्राम पड़िया जागीर का महायोग	2	3.743	0.400	0.540	0.940
	महायोग :-	327	203.166	15.653	19.605	35.258

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 2706-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 7 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 11/अ/82/13-14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्यामपुरा तालाब निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम झाडमऊ के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं। चूंकि श्यामपुरा तालाब निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है ओर इस कारण धारा-19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची-1 ग्राम झाडमऊ तहसील जीरापुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			कुल योग
		सिंचित	अंसिचित	4	
1	2	3	4	5	5
1	निजी भूमि (ग्राम झाडमऊ)	22.822		18.009	40.831
कुल योग :-		22.822	18.009	40.831	

(श्यामपुरा तालाब निर्माण)

ग्राम झाडमऊ तहसील जीरापुर, जिला—राजगढ़ म.प्र.

अनुसूची-2

श्यामपुरा तालाब निर्माण में आने वाली ग्राम झाडमऊ की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	अंसिचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मदनलाल पिता मांगीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	3/1/3/1/2	0.560	0.000	0.460	0.460
2	नारायण पिता लाला बलाई नि. झाडमऊ	3/1/4	1.500	0.250	0.000	0.250
3	मांगीलाल प्रेमचन्द पिता माना बलाई नि. झाडमऊ	3/15/4 3/25/1/3	0.455 0.917	0.000 0.000	0.155 0.117	0.155 0.117
4	काशीराम पिता रामा बिरजा नि. झाडमऊ	3/1/20/1	0.994	0.000	0.994	0.994
5	सन्दीपकुमार पिता गोपालसिंह अ.प.दादा रतनलाल पिता रामलाल जाति भीणा नि. झाडमऊ,	3/1/20/2	0.506	0.000	0.506	0.506
6	दिनेशकुमार पिता रमेशचन्द शांतीबाई बेवा रमेशचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ	3/1/22/1	0.750	0.750	0.000	0.750
7	गुलाबसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ	3/22	1.303	0.000	0.603	0.603
8	कमलसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ	3/23	1.809	1.809	0.000	1.809

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
9	घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल शंकरीबाई बेवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ	3/1/2023	1.250	0.450	0.000	0.450
10	कमलाबाई पति नारायण चमार नि. झाडमऊ	3/1/24	1.000	0.000	0.200	0.200
11	देवीलाल रतनलाल पिता चम्पा बालचंद देवबाई पिता भेरुलाल सजनबाई बेवा भेरुलाल चमार नि. झाडमऊ	3/26	2.023	0.553	0.000	0.553
12	रामसिंह मनोहरलाल नारायण पिता गणपत रोडीबाई पिता गणपत धापूबाई बेवा गणपत जाति चमार नि. झाडमऊ	3/1/27	0.500	0.130	0.000	0.130
13	चन्द्रलाल गोकुल पिता धूला कालीबाई बेवा बापूलाल जाति चमार नि. झाडमऊ	3/1/28/1	0.050	0.000	0.050	0.050
14	उंकारबगस शिवलाल पिता नाथूलाल जति दांगी नि. बालाहेड़	3/1/28/2	0.450	0.000	0.069	0.069
15	गोकुलप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति ब्रह्मण नि. बालाहेड़	3/29/1	1.700	0.000	0.470	0.470
16	बापूलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. बालाहेड़	3/31	1.416	0.000	0.125	0.125
17	मांगीबाई पति भगवानसिंह जाति भील नि. झाडमऊ	3/40/1	0.288	0.000	0.138	0.138
18	विष्णूप्रसाद पिता पन्नालाल जाति भील नि. झाडमऊ	3/40/2	0.289	0.000	0.109	0.109
19	घनश्याम पिता रतनलाल जाति भील नि. झाडमऊ	3/40/3	0.576	0.000	0.076	0.076
20	सजनबाई पति गोपाल जाति भील नि. झाडमऊ	3/40/4	0.577	0.000	0.077	0.077
21	रमेश पिता धन्ना जाति मेहतर नि. झाडमऊ	3/43/9	0.750	0.000	0.750	0.750
22	रोडू पिता जगन्नाथ जाति भील नि. झाडमऊ	3/1/29	4.000	0.000	1.000	1.000
23	रामूबाई पति हरलाल जाति चमार नि. झाडमऊ	3/43/20	0.620	0.000	0.120	0.120
24	नारायण पिता मेहताब चमार नि. झाडमऊ	3/43/22	0.620	0.000	0.620	0.620
25	बापू पिता धूला कालीबाई बेवा बापू चमार नि. झाडमऊ	3/43/28	0.443	0.000	0.443	0.443
26	प्रेम पिता किशन जाति बिरजा नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/43/38	0.750	0.000	0.500	0.500

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकमा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
27	कन्हैयालाल गोपाल सत्यनारायण पिता नन्दराम लीलाबाई बैवा नन्दराम कौशल्याबाई पिता नन्दराम जाति सुनार नि. झाडमऊ	3/43/46	0.750	0.000	0.375	0.375
28	घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल कस्तुरीबाई बैवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ	3/43/51	0.250	0.000	0.250	0.250
29	दिलीपकुमार पिता मूलचन्द कमलाबाई बैवा मूलचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ	3/43/52	0.750	0.000	0.750	0.750
30	मोहनलाल पिता मेहतबा दांगी नि. बालाहेडा	3/24/1	0.021	0.021	0.000	0.021
31	भागीरथ पिता मोहनलाल दांगी नि. बालाहेडा	3/24/2	0.400	0.400	0.000	0.400
32	कंवरलाल पिता रामबगस दांगी नि. श्यामपुरा	6/1/1	5.271	1.522	0.000	1.522
33	राधेश्याम कुशालसिंह पिता रंगलाल दांगी नि. श्यामपुरा	6/1/2	0.585	0.000	0.250	0.250
34	रामचरण शिवनारायण पिता रुग्नाथ दांगी श्यामपुरा	6/10	4.740	3.780	0.000	3.780
35	किशनलाल पिता अमरता दांगी नि. श्यामपुरा	7/1	1.690	1.690	0.000	1.690
36	श्रीनाथ कन्हैयालाल रोड़ीबाई घीसीबाई सम्पत्तबाई ममताबाई पिता हजारीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	7/2	1.690	0.000	1.690	1.690
		20/1	0.926	0.000	0.012	0.012
		20/3	0.617	0.000	0.012	0.012
37	शिवनारायण पिता रुधनाथ दांगी नि. श्यामपुरा	7/3	1.690	1.690	0.000	1.690
		36/2/1	0.980	0.800	0.000	0.800
		36/5	0.633	0.633	0.000	0.633
38	रामचरण पिता शिवलाल दांगी नि. श्यामपुरा	27/1/1/4	0.506	0.506	0.000	0.506
		27/1/2	0.253	0.253	0.000	0.253
39	हरिसिंह रामचरण पिता शिवलाल देवनारायण पिता अनारसिंह गीताबाई बैवा अनारसिंह सोनीबाई बैवा शिवलाल उंकारबगस कंवरलाल कैलाश पिता गुलाब ग्यारसीबाई बैवा गुलाब दांगी नि. श्यामपुरा	6/9	1.112	0.932	0.000	0.932
40	लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	11/1	0.332	0.000	0.231	0.231
		12/2	0.344	0.000	0.234	0.234
41	कंचनबाई पति बंशीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	12/1	0.334	0.000	0.233	0.233
		14/2/2	0.440	0.000	0.440	0.440
42	रामलाल गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा	11/2	0.332	0.231	0.000	0.231
		14/1	0.175	0.175	0.000	0.175
		33/1	0.505	0.505	0.000	0.505
43	प्रेमनारायण पिता उंकारबगस चुन्नीलाल पिता विहारीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	13	1.072	0.000	0.500	0.500
		14/2/3	0.727	0.000	0.727	0.727

• क्रं	प्रमाणित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रक्षा	प्रमाणित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
44	प्रहलादसिंह नरेन्द्रसिंह रामवृंदवर होकमल्कुमार छायाकुमार प्रकाशकुमार पिता किशनसिंह आनन्दकुमार बेवा किशनसिंह राजपूत नि. झाडमऊ	14/2/1	0.085	0.000	0.085	0.085
45	गोरखन पिता मोतीलाल लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	15/2	0.725	0.000	0.425	0.425
46	गंगाधर पिता मोतीलाल दांगी नि. श्यामपुरा	17	1.477	0.000	0.015	0.015
47	कैवरलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा	18/1	0.509	0.000	0.070	0.070
48	शिवनारायण पिता प्रभूलाल दौंगी नि. श्यामपुरा	18/2	0.510	0.000	0.070	0.070
49	बापूलाल पिता प्रभूलाल दांगी नि. श्यामपुरा	19 21/2/1	0.534 0.500	0.000 0.000	0.010 0.024	0.010 0.024
50	शंभू पिता रामरतन अ.प.कर्ता रामरतन दांगी नि. श्यामपुरा	20/2	0.926	0.000	0.012	0.012
51	देवसिंह पिता माधुलाल कुम्हार नि. श्यामपुरा	20/4 21/1	0.309 0.880	0.036 0.012	0.000 0.000	0.036 0.012
52	बद्रीलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा	21/2/2/1	0.603	0.000	0.024	0.024
53	डालूबाई बैवा भंवरलाल श्रीलाल रामनारायण पिता भंवरलाल बापूलाल पिता रामलाल दांगी नि. श्यामपुरा	22/2	1.765	0.000	0.024	0.024
54	कन्हैयालाल पिता देवसिंह दांगी नि. श्यामपुरा	22/1/2 23/1	0.506 0.442	0.000 0.000	0.018 0.012	0.018 0.012
55	मांगीलाल पिता देवसिंह दांगी नि. श्यामपुरा	22/1/1	0.254	0.000	0.018	0.018
56	भगवानसिंह पिता गंगाधर दांगी नि. श्यामपुरा	27/1/3	0.759	0.759	0.000	0.759
57	गोपालसिंह पिता कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ	27/2/2	0.289	0.000	0.289	0.289
58	रणवहादुर सिंह पिता कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ	27/2/1/1	0.854	0.459	0.000	0.459
59	रत्नबाई पूरसिंह आ. कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ	31	0.745	0.000	0.745	0.745
60	कंवरलाल पिता किशनलाल दांगी नि. श्यामपुरा	32	1.991	1.991	0.000	1.991
61	गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा	15/1	0.724	0.000	0.724	0.724
62	गिरारी पिता खुभान दांगी नि. श्यामपुरा	33/2	0.506	0.506	0.000	0.506
63	रामचरण शिवनारायण पिता लघनाथ दांगी नि. श्यामपुरा	34, 35	1.979	1.979	0.000	1.979
64	रसीदाबाई पति अजीज खाँ जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि रवामी	39/28/2	0.450	0.000	0.450	0.450
65	कन्हैयालाल पिता नाथूलाल चमार नि. झाडमऊ	39/49/2	0.750	0.000	0.350	0.350
66	गोपालसिंह पिता कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ	36/1/1/2	0.470	0.000	0.300	0.300
67	राजूबाई पति प्रभूलाल बागरी नि. झाडमऊ	39/49/4	0.750	0.000	0.375	0.375
68	अमरलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. झाडमऊ	39/49/5	0.750	0.000	0.306	0.306
69	रामप्रसाद पिता धीसा जाति बागरी नि. झाडमऊ	39/49/12	0.620	0.000	0.180	0.180
70	श्यामबाई पिता रोडूलाल बागरी नि. झाडमऊ	39/50/13	0.700	0.000	0.125	0.125

71	रविदास पिता नरसंगदास बैरागी नि. झाडमऊ	39/50/1/2	0.032	0.000	0.032	0.032
72	कालूलाल पिता भेरुलाल जाति चमार नि. झाडमऊ	3/18/	0.200	0.000	0.040	0.040
	कुल योग :-	किटा 86	75.815	22.022	18.009	40.831

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 2708-भू-अर्जन/2016 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खोखरिया तालाब के ढूब एवं नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया तहसील जीरापुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			कुल योग
		सिंचित	अंसिचित		
1	2	3	4		5
1	निजी भूमि (ग्राम किशनपुरिया)	12.597	10.463		23.060
	निजी भूमि (ग्राम खोखरिया)	5.776	16.923		22.699
	कुल योग :-	18.373	27.386		45.759

(खोखरिया तालाब का निर्माण)

ग्राम किशनपुरिया एवं खोखरिया तहसील जीरापुर, जिला—राजगढ़ म.प्र.

अनुसूची-2

खोखरिया तालाब का ढूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम किशनपुरा की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	अंसिचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्द्रसिंह, बनेसिंह आ. देवीसिंह रत्नबाई वि. देवीसिंह, धीरपसिंह, जूझारसिंह सिद्धूसिंह तुफानसिंह आ. दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी	226/1/1 342 345/2	0.970 0.688 0.040	0.000 0.000 0.000	0.270 0.688 0.040	0.270 0.688 0.040
	Total :-	3	1.698	0.000	0.998	0.998
2	धीरपसिंह, जूझारसिंह, सिद्धूसिंह, तुफानसिंह आ. दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	227/1/1 227/1/4 345/1 308, 309	0.200 0.420 0.365 0.489	0.000 0.000 0.000 0.000	0.200 0.420 0.365 0.100	0.200 0.420 0.365 0.100
	Total :-	4	1.414	0.000	1.085	1.085
3	इन्द्रसिंह आ. देवीसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	226/4 226/5 227/2	0.304 0.628 0.372	0.294 0.618 0.000	0.010 0.010 0.372	0.304 0.628 0.372
	Total :-	4	1.304	0.912	0.392	1.304

4	हरीसिंह आ. हीरालाल, केसरबाई वि. हीरालाल जोति सों नि. ग्रा. भूस्वामी	343, 344 348 350/2	1.538 0.991 0.709	1.525 0.000 0.000	0.013 0.491 0.350	1.538 0.491 0.350
	Total :-	3	3.238	1.525	0.854	2.379
5	पूरा आ. धीसा, बीरमसिंह द. पुत्र भंवरिया, किशन आ. मेहताब, जाति सो. निवासी ग्राम भूस्वामी	331, 332, 333 335, 336, 337, 338, 339, 340	0.361 1.992	0.000 1.992	0.361 0.000	0.361 1.992
	Total :-	2	2.353	1.992	0.361	2.353
6	बीरमसिंह द.पुत्र भंवरिया, जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी	349	0.955	0.945	0.010	0.955
	Total :-	1	0.955	0.945	0.010	0.955
7	अनारसिंह आ. नाथूसिंह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी	347/1, 347/2	2.056	0.856	0.000	0.856
	Total :-	1	2.056	0.856	0.000	0.856
8	बनेसिंह आ. भेरु जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	350/1	0.547	0.000	0.547	0.547
9	नारायणसिंह आ. भेरु जाति सो.नि.ग्राम भूस्वामी	351	0.388	0.000	0.388	0.388
	Total :-	2	0.935	0.000	0.935	0.935
10	शिवसिंह आ. रायसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	346/1	1.946	0.000	1.946	1.946
	Total :-	2	1.946	0.000	1.946	1.946
11	बीरमसिंह आ. कालू जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	354/2/1	1.494	1.484	0.010	1.494
	Total :-	1	1.494	1.484	0.010	1.494
12	बालूसिंह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	354/2/2	0.506	0.000	0.506	0.506
	Total :-	1	0.506	0.000	0.506	0.506
13	मांगीलाल, प्रभूलाल आ. शंकर, केसरबाई वि. शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी	313/3	0.607	0.000	0.407	0.407
	Total :-	1	0.607	0.000	0.407	0.407
14	प्रभूलाल आ. शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी	314	0.474	0.464	0.010	0.474
	Total :-	1	0.474	0.464	0.010	0.474
15	देवीलाल आ. रामलाल, पूरीबाई वि. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	316/1	1.728	1.718	0.010	1.728
	Total :-	1	1.728	1.718	0.010	1.728

16	घीसालाल आ. मोहनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	312	0.963	0.000	0.963	0.963
		313/2	0.251	0.000	0.251	0.251
		316/2	0.627	0.617	0.010	0.627
		317	0.231	0.000	0.115	0.115
		319	1.100	0.000	1.100	1.100
	Total :-	5	3.172	0.617	2.439	3.056
17	दयविसिंह आ. कनीराम जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	189/1	1.011	0.000	0.500	0.500
	Total :-	1	1.011	0.000	0.500	0.500
18	बनेसिंह आ. देवीसिंह जा.सौ. नि.ग्राम भूस्वामी	226/2	0.664	0.664	0.000	0.664
		226/3	0.332	0.332	0.000	0.332
		227/1/3	0.228	0.128	0.000	0.128
	Total :-	3	0.223	0.124	0.000	0.124
19	बनेसिंह आ. किशन जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/1	0.860	0.400	0.000	0.400
	Total :-	1	0.860	0.400	0.000	0.400
20	रतनसिंह आ. किशनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	190/2	0.860	0.560	0.000	0.560
	Total :-	1	0.860	0.560	0.000	0.560
	Total :-	2	27.895	12.597	10.463	23.060
			कुल योग:-	12.597	10.463	23.060

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची-2

खोखरिया तालाब का ढूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम खोखरिया की निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	पूरा आ. घीसा जाति सो. नि. ग्रा. किशनपुरा भू-स्वामी	309/1	0.798	0.600	0.000	0.600
		309/3	0.597	0.300	0.000	0.300
		310	1.182	0.000	0.900	0.900
		313/3	0.340	0.330	0.010	0.340
		317, 318	1.619	0.000	1.619	1.619
	Total :-	5	4.536	1.230	2.529	3.759
2	परधीसिंह आ. मदनसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी	311/1	0.374	0.364	0.010	0.374
		316/3	0.359	0.000	0.359	0.359
		343/2	0.089	0.000	0.089	0.089
	Total :-	3	0.822	0.364	0.458	0.822
3	भंवरीबाई पति केशर जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	311/2	0.052	0.000	0.052	0.052
		311/3	0.243	0.000	0.243	0.243
		312	1.226	1.216	0.010	1.226
	Total :-	3	1.521	1.216	0.305	1.521

4.	प्रेमसिंह आ. मदनसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	311/4 313/1, 313/2 316/1 339	0.374 0.547 0.360 1.657	0.354 0.507 0.000 0.000	0.020 0.040 0.360 0.150	0.374 0.547 0.360 0.150
	Total :-		2.338	0.663	0.570	1.431
5.	किशनसिंह आ. मदनसिंह जाति सो. निवासी ग्राम भूस्वामी	311/5 316/2	0.374 0.350	0.000 0.000	0.374 0.350	0.374 0.350
	Total :-		0.724	0.000	0.724	0.724
6.	श्रीलाल आ. मदनसिंह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी	311/6 316/4	0.375 0.359	0.000 0.000	0.375 0.359	0.375 0.359
	Total :-		1.2	0.734	0.000	0.734
7.	बापूलाल, गेन्द्रालाल, हरीसिंह, गीताराम आ. पूरा जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी	314 315 319	0.061 1.437 0.559	0.000 0.000 0.549	0.061 1.437 0.010	0.061 1.437 0.559
	Total :-		2.057	0.549	1.508	2.057
8.	कालूसिंह आ. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	320 322/1 324/1 325/1	0.765 0.078 0.132 0.869	0.000 0.000 0.122 0.000	0.765 0.078 0.010 0.869	0.765 0.078 0.132 0.869
	Total :-		1.844	0.122	0.722	1.844
9.	भूलीबाई पति शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	321 337/1 337/2	0.769 0.712 0.223	0.000 0.700 0.213	0.769 0.012 0.010	0.769 0.712 0.223
	Total :-		1.704	0.913	0.791	1.704
10.	नाथूसिंह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	322/2 324/2 325/2	0.052 0.087 0.114	0.000 0.087 0.000	0.052 0.087 0.114	0.052 0.087 0.114
	Total :-		0.253	0.087	0.166	0.253
11.	मांगीलाल, कालू आ. रोडा जाति गुसाई नि. ग्रा. भूस्वामी	326/1, 327 335 336	0.547 0.983 0.930	0.000 0.000 0.000	0.547 0.900 0.930	0.547 0.900 0.930
	Total :-		2.460	0.000	2.377	2.377
12.	रमेश, बैरु आ. शिव निहाल, बेवा शिव जाति गुसाई नि. ग्रा. भूस्वामी	326/2 329 330 331 347/1 346 348/1, 348/2, 349/3	0.060 0.255 0.454 0.849 0.486 0.348 0.291	0.000 0.000 0.434 0.000 0.000 0.000 0.000	0.060 0.255 0.020 0.849 0.150 0.175 0.130	0.060 0.255 0.454 0.849 0.150 0.175 0.130
	Total :-		2.743	0.434	1.639	2.073
13.	पूरसिंह आ. भवरलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी	352/1	0.587	0.000	0.400	0.400
	Total :-		0.587	0.000	0.400	0.400
14.	हेनुमंत आ. नन्दा जाति कुम्हार नि. ग्रा. भूस्वामी	356/23	4.553	0.000	3.000	3.000
	Total :-		4.553	0.000	3.000	3.000
	कुल योग :-		5.776	16.923	22.695	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तस्वीर कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016**

रा. प्र. क्र.-01-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	परासिया	ग्राम-चरईकला ब. न.-155, प. ह. नं.-01, रा. नि. मं.-परासिया.	1. दादूराम मकरचंद पुत्रगण भंगी गौली निवासी ग्राम-चरईकला भूमि स्वामी. 2. पार्वती वि. देवचंद पवन पुत्र देवचंद दुलारी संतरा लक्ष्मी पुत्रियां देवचंद गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी. 3. प्रकाश पिता हुकुम, राजेश, संजय पुत्रगण रामजी प्रेमवती बेवा रामजी गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी. 4. मथुरा पुत्र रामदास, भागवती वि. रामदास गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी. 5. मथुरा पुत्र रामदास, गौली निवासी ग्राम-चरईकला भूमि स्वामी. 6. जलसिया वि. अनेक, भुवनलाल, भागलाल, पुत्रगण अनेक गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.	75/1 72/1 72/2 73/1 73/2 14/1 15/1 59/1	0.0360 0.140 0.140 0.356 0.024 0.056 0.016 0.024	चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	फुर्तो पुत्री अनेक गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		59/2		0.008	
8.	नानकराम, नन्हू टोकू रूपचन्द पुत्रगण बालकराम, मुलिया वि. बालकराम गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		60/2 61/2	60/2 61/2	0.0.16 0.100	
9.	जगदीश, खुन्नु पुत्रगण परसराम गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		67		0.064	
10.	लालमन, कृष्ण पुत्रगण भादू बल्देव, रजू मोहना पुत्रगण कल्लू, ललमत वि. कल्लू गौली निवासी ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		66		0.016	
11.	कल्लू पुत्र परसन गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		74		0.048	
12.	सिकलचन्द पुत्र कुन्जी गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.		71		0.016	
				कुल योग . .	01.384	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र.-08-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ऐ. भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, (एम.पी.आर.डी.सी.) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-रिधोरामाल ब. न.-508, प. ह. नं.-21/16, रा. नि. मं.-उमरेठ.	1. रमेश पिता रोन्या चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। 2. महेश पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी। 3. पतिराम पिता मोहकम तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी। 4. रमेश, गनेश हरीचन्द नरेश पुत्रगण रोन्या सुमित्रा वि. रोन्या जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी। 5. कैलाश केवलप्रसाद केशवप्रसाद, शनिलाल धनिराम पुत्रगण भोजे फुलिया वि. भोजे जाति पवार भूमि स्वामी। 6. शनिलाल पिता भोजे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। 7. सुरेश, शंकर सिरपाल पिता रघुनाथ चम्पा, अनूप रोहित पिता सुरेश, नीलू पुत्री सुरेश तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। 8. पंखीबाई वि. लखनलाल संतोष संतराम तेजीलाल पिता लखनलाल अनुसुईया मीता मंगलवती पुत्रिया लखनलाल जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी।	113/1 114/1 118/2 132/1 116/1 116/2 117 118/1 118/3 114/2 386/2	0.012 0.012 0.003 0.060 0.060 0.005 0.008 0.020 0.012 0.050 0.004	सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	जानकी पिता सुदामा जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		132/2	0.005		
10.	केशवराव पिता मनाजी जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		133	0.005		
11.	अध्यक्ष प्रा. शा. वि. समिति पता निवासी- रिधारा माल भूमि स्वामी.		381/1 386/3	0.025 0.020		
12.	काशी दुर्गा पुत्रगण उद्देशम देवका मुना पुत्रियां उद्देशम नरबद वि. रामप्रसाद कृष्ण फग्गू लक्खों दिमाकचंद सुमरचंद पूनाराम पुत्रगण रामप्रसाद शांता पुत्रियां रामप्रसाद र्यारसी वि. बिसनू सुरेश नरेश पुत्रगण बिसनू सर्किला राजकुमारी पुत्रियां बिसनू अनिल, जितु पिता रमेश, अनिता अंजनी पुत्रियां रमेश जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		383	0.020		
13.	विसरोबाई वि. रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		384	0.020		
14.	तारावती तरला पुत्रियां फगना जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		385	0.020		
15.	फलिया वि. भोजे तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		115/2	0.060		
16.	प्रा. शा. भवन व माध्य. शाला भवन रिधारो पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.		387	0.020		
17.	गुन्ठु पिता गनेशा द्रोपति पुत्री गनेशा ज्ञाना वि. गनेशा बाबूलाल पिता सुक्कन पतिराम पिता मोहकम मु. चिनिया वि. भागचंद, शिशुपाल जगपाल पुत्र भागचंद जाति तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		390	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	फगू पिता रामप्रसाद जाति नाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		391/4	0.012		
19.	ज्ञानचंद पुत्र नागो जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		593/2	0.030		
20.	महेश पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		594/1	0.012		
21.	ईठाबाई पति सिकल महेश अशोक पुत्रगण सिकल शशिबाई पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		594/2	0.012		
22.	गुरुप्रसाद पिता गना मीराबाई वि. नामदेव बबलू सुमेर विनोद पिता नामदेव शुशीबाई पिता नामदेव शीला विधवा सुदामा सतीश प्रदीप पिता सुदामा नीतू पुत्री सुदामा रुक्खो-ताफी पुत्रिया गना जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		595	0.040		
23.	रामराव पिता शंकर जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		596/1	0.012		
24.	लालाजी पिता चिन्तु पवार नि. ग्राम भूमि स्वामी.		596/7	0.016		
25.	रामभरोस पिता गुन्ठु पवार नि. ग्राम भूमि स्वामी.		596/3	0.016		
26.	रघुनन्दन गिरधारी पुत्र लक्ष्मण जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		596/5	0.024		
27.	चैतु पिता दादू पवार जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		601	0.040		
28.	गयाप्रसाद पिता बाबूलाल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		606/3	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	महादेव पिता सहसू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		606/2	0.020		
30.	जानकी बाई पति जागो कचरा पति सिरपत नाही पति चेतू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		628/2	0.020		
31.	अनिल कुमार पिता जयराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		628/3	0.020		
32.	जयराम पिता भैयालाल जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.		652/1	0.040		
33.	जयराम पिता भैयालाल मु. लंका वि. भैयालाल नानकराम पिता सीताराम, शिवप्रसाद, मुनीम, पिता गोवर्धन, भीम, बलदेव, सहदेव, पिता बालकराम, परमीला, सरला, पिता बालकराम मु. रुखतणी वि. बालकराम, भूमि स्वामी.		651/1 632/1 628/1 628/4	0.050 0.050 0.050 0.060		
34.	उमेश पिता भीमराव, योगेश पिता भीमराव जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.		628/6 628/7	0.028 0.020		
35.	रामजी पिता गोखा जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वमी.		629/1 629/3 629/4 629/5 631/7 629/8	0.030 0.030 0.030 0.030 0.040 0.040		
36.	रामदास कन्हैया पिता गोणदू कोतिका सुमीन रेखा पुत्रिया गोणदू कुसमा वि. गोणदू जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.		649/8	0.060		
37.	भीम पुत्र बलका जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.		652/2	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	राजू पिता जयदुनंदन	जाति पवार पता निवासी	ग्राम भूमि स्वामी भू-स्वामी.	654/1	0.320	
39.	गुरुप्रसाद पिता सहसराम	जाति पवार पता निवासी	ग्राम भूमि स्वामी.	596/4	0.040	
40.	सिकल पिता दीना जी	पवार निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	636/9	0.020	
41.	सेवाराम पिता गोवरधन	पवार निवासी ग्राम भूमि	स्वामी.	113/5	0.008	
42.	ओमप्रकाश पिता गोवरधन	पवार ,निवासी ग्राम भूमि	स्वामी.	113/6	0.008	
43.	कृष्ण पिता रामप्रसाद	जाति नाई, निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	391/1	0.008	
44.	राजू राजेश अशोक पिता	लकड़ी रेखा पिता लकड़ी	राजकुमारी विधवा लकड़ी,	391/3	0.008	
		जाति नाई, निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.			
45.	दिमाकचंद पिता रामप्रसाद	जाति नाई, निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	391/2	0.008	
46.	पुनराम पिता रामप्रसाद	जाति नाई निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	391/5	0.012	
47.	रमेश पिता जगन्नाथ	जाति तेली, निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	114/3	0.012	
		भूमि स्वामी.		118/4	0.003	
48.	करणलाल पिता जगन्नाथ	जाति तेली, निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	114/4	0.014	
		भूमि स्वामी.		386/1	0.004	
49.	चरणलाल पिता जगन्नाथ	जाति तेली निवासी ग्राम	भूमि स्वामी.	114/5	0.012	
		भूमि स्वामी.		118/5	0.003	
50.	केवजी पिता हरि पवार	आबादी	कच्चा	324		
		आबादी	मकान-1			
51.	परस पिता उद्देराम पवार	आबादी	कच्चा	324		
		आबादी	मकान-1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	गिरीश पिता चन्दूलाल मालवी.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
53.	चिन्ता पिता उद्देश पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
54.	भकरया पिता बंधु पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
55.	रामकृष्ण पिता लक्ष्मण पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
56.	मनोज पिता छोलाल पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
57.	धनश्याम पिता हरिचंद पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
58.	उमाशंकर पिता सुन्दर पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
59.	कन्हैया पिता भैयालाल पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
60.	सुभाष पिता भैयालाल पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
61.	दिमांकचंद पिता भैयालाल पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
62.	केवल पिता जियन पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
63.	नरेश पिता जियन पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
64.	दीनदयाल पिता शिवप्रसाद पवार.		324	आबादी	बाउण्डीवाल	
65.	गनपत पिता भलल्याजी पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
66.	माना पति गुरुप्रसाद पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
67.	रितेश पिता किशोरी पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
68.	राजेन्द्र पिता रेवा नाई		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
69.	चुनीलाल पिता गोवरधन पवार.		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
70.	उमेश पिता गोवरधन पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1
71.	रोहिताश पिता शंकर पवार		324	आबादी	कच्चा	मकान-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.	जैनाबाई पति					
	छोटेलाल	324	कच्चा			
	पवार.	आबादी	मकान-1			
73.	कैलाश पिता घुन्ठू पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
74.	रामता पिता उद्देराम पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
75.	गुलाबचंद पिता दावजी	324	कच्चा			
	पवार.	आबादी	मकान-1			
76.	गोकल पिता सावजी पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
77.	बिधा पति जयसिंग मेहरा	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
78.	फुलवती पिता ओमप्रकाश	324	कच्चा			
	साहू.	आबादी	मकान-1			
79.	चुन्नीलाल पिता नानकराम	324	कच्चा			
	पवार.	आबादी	मकान-1			
80.	नरेश पिता रतन मेहरा	324	पक्का			
		आबादी	मकान-1			
81.	विनोद पिता पूनाराम साहू	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
82.	शालकराम पिता घूडन	465/1	कच्चा			
	लोहार.	आबादी	मकान-1			
83.	शिवदयाल पिता रतन	324	कच्चा			
	मेहरा.	आबादी	मकान-1			
84.	चैतलाल पिता जुगन पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
85.	श्रीराम पिता वेतू पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
86.	परस पिता रतन पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
87.	फत्तू पिता बगू पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
88.	नरेश पिता छुन्ठू पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			
89.	संजू पिता चुन्नीलाल पवार	324	कच्चा			
		आबादी	मकान-1			

कुल योग . . 01.933

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. एफ. 02-04-2015-एक-619.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड-एक/कनिष्ठ लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी के पद पर वेतनबैंड+ग्रेड पे रुपये 15,600—39,100+5,400 में पदोन्नत किया जाता है:—

1. श्री सतीश व्यास, कनिष्ठ लेखाधिकारी
2. श्रीमती ज्योति मालवीय, सहायक ग्रेड-एक

2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम-7 (15) के अनुसार फीडर कैडर में अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुभाग अधिकारी का एक पद अप्रसीत (Carry Forward) किया गया है।

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्ते शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं। अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु.जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. एफ. 02-02-2016-एक-621.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री एन. के. लच्छवानी, अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी के पद पर वेतनबैंड+ग्रेड पे रुपये 15,600—39,100+5,400 में पदोन्नत किया जाता है।

2. आयोग में लेखाधिकारी का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्ते शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन है। अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु.जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. एफ. 02-02-2015-एक-623.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव (विधि) के पद पर वेतनबैंड+ग्रेड पे रुपये 15,600—39,100+6600 में पदोन्नत किया जाता है:—

2. आयोग में अवर सचिव (विधि) का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं। अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु.जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-39-15-11.-181.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा), अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 9 फरवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08 मार्च 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 23 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपान्त अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसीलदार जिला शिवपुरी के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर

(दाउ ढाबा) द्वारा लेने से इन्कार किये जाने पर, पांच गवाहों के समक्ष पंचनामा बनाया जाकर, सूचना-पत्र तामील कराया गया। अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हुए एवं सूचना-पत्र उन्होंने लेने से इंकार किया गया। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् परिषद् पिछोर जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता/-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ. 67-43-12-तीन-183.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, धामनोद जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री प्रभा कटारे, अध्यक्ष पद की

अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, सुश्री प्रभा कटारे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार वर्णित तथ्यों की सत्यता/विश्वसनीयता के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया है कि—उक्त अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं शपथ-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। इस लिये अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।”

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री प्रभा कटारे, द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रभा कटारे, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् धामनोद जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15-र्या.-190.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करौरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री आनंद मुदगल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री आनंद मुदगल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री आनंद मुदगल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उक्त सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया

गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आनंद मुदगल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करौरा जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता।/-

(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15-ग्या.-191.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करौरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री वीरसिंह गुर्जर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे। इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री वीरसिंह गुर्जर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री वीरसिंह गुर्जर से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 18 जून 2015 द्वारा को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 03 जुलाई 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उक्त सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को विहित समयावधि में कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोनित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री वीरसिंह गुर्जर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15-र्या.-192.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र पाण्डेय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री महेन्द्र पाण्डेय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री महेन्द्र पाण्डेय से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक

12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उक्त सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेन्द्र पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करौरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15-11.-193.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी

के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करौरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र व्याघ्र अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री राजेन्द्र व्याघ्र को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र व्याघ्र को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री राजेन्द्र व्याघ्र से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उक्त सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को विहित समयावधि में कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा

प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र व्याघ्र को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-41-15-11.-194.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकार्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् शिवपुरी, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजकुमार सोनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, श्री राजकुमार सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी

के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 02 मार्च 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री राजकुमार सोनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 मई 2015 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 जून 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि—अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरात्त अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उक्त सूचना-पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को विहित समयावधि में दिनांक 09 मार्च 2016 को कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजकुमार सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् शिवपुरी, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-98-15-11.-196.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” महापौर पद के अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस की तारीखी अभ्यर्थी को दिनांक 10 फरवरी 2015 को हो चुकी थी।

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तारीख हो जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरांत कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखे जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावजूद स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र

त्रिपाठी” को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना-पत्र दिनांक 8 फरवरी, 16 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया। सूचना-पत्र की तारीखी अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुई और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि—अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता देवी “ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी” को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका निगम, सतना जिला सतना (म. प्र.) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता/-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-98-15-11.-197.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिका निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रतिमा सिंह महापौर पद

के अभ्यर्थी थीं, नगरपालिक निगम, सतना, जिला—सतना के आम निवाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निवाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को निवाचन व्ययों का लेखा जिला निवाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा नियत समयावधि के भीतर निवाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी से अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह के संदर्भ में उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 फरवरी 2015 कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से प्रेषित किया गया कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 फरवरी 2015 को हो चुकी थी।

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तामील हो जाने के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरान्त कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखा जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावजूद स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए।

कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निवाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना-पत्र दिनांक 8 फरवरी, 2016 कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया। सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुई और नहीं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि—अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निवाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निवाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना (म. प्र.) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निवाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता/-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निवाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला—धार मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. 03-2016.—बंधक श्रम तथा प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला धार हेतु मैं श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला धार (म. प्र.) बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति धार/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां धार, बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी तथा मनावर का निम्नानुसार पुर्नगठन करता हूं। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13 (2) क	जिला दंडाधिकारी धार।	अध्यक्ष
2	धारा 13 (2) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य 1. श्रीमती सरजूबाई सोलंकी, गंधवानी जिला धार। 2. श्री महेश मालवीय, ग्राम व पो. बिल्लौदा तह. व जिला धार। 3. श्री निरंजन डाबर, ग्राम लोणी पो. जाटपुर तह. मनावर जिला धार।	सदस्य सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3 धारा 13 (2) ग		जिले के सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री विवेकनारायण पिता श्री शेषनारायण, निवासी एल.आय.जी. कॉलोनी धार. सदस्य	
		2. श्री पंकज पिता मनोहरलाल जैन, निवासी, 74 महावीर मार्ग, बनियावाडी, धार. सदस्य	
4 धारा 13 (2) घ		राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. पुलिस अधीक्षक, धार.	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार.	सदस्य
		3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, धार.	सदस्य
		4. श्रम पदाधिकारी, जिला श्रम कार्यालय, धार.	सदस्य
5 धारा 13 (2) झ		वित्तीय संस्था के सदस्य	
		1. प्रबंधक, लोड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, धार.	सदस्य
		अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, धार	
क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1 धारा 13 (3) क		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग धार.	अध्यक्ष
2 धारा 13 (3) ख		जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी तिरला तह. व जिला धार.	सदस्य
		2. श्री बालाराम निनामा, निवासी धार जिला धार.	सदस्य
		3. श्री गेन्दालाल बामनका, दीनदयालपुरम, धार.	सदस्य
3 धारा 13 (3) ग		जिले के सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री राजकुमार जाट, निवासी घाटाबिल्लौद, धार.	सदस्य
		2. श्री श्याम नायक, निवासी ब्रह्मकुण्डी, धार.	सदस्य
		3. श्रीमती फूलवती सूर्यवंशी, निवासी ग्राम. बगदून इण्डोरमा चौराहा तह. व जिला धार.	सदस्य
4 धारा 13 (3) घ		राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. नगर पुलिस अधीक्षक, धार.	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धार, तिरला, नालछा.	सदस्य
		3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, धार, तिरला, नालछा.	सदस्य
		4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, धार.	सदस्य
5 धारा 13 (3) झ		वित्तीय संस्था के सदस्य	
		1. प्रबंधक, (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा धार जि. धार.	सदस्य
		अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बदनावर	
क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1 धारा 13 (3) क		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग बदनावर	अध्यक्ष
2 धारा 13 (3) ख		जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्री भंवरलाल भेराजी मंडलोई, नि. ग्रा. छौखुर्द पो. कानवन जि. धार.	सदस्य
		2. श्री सुखराम पिता पुनाजी निवासी देवदापाड़ा (खरडिया) पो. भैंसोला तह. बदनावर जि. धार.	सदस्य
		3. श्रीमती रेखाबाई पति राधेश्याम निवासी नवापाड़ा (छायन) तह. बदनावर जिला धार.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3 धारा 13 (3) ग		जिले के सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री राजेन्द्र सराफ पिता समरथमल सराफ नि. जवाहर मार्ग, बदनावर तह. बदनावर जिला धार.	सदस्य
		2. श्री मोहनसिंह नारायणसिंह चौहान, निवासी 10, मुखर्जी मार्ग बदनावर जिला धार.	सदस्य
4 धारा 13 (3) घ		राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बदनावर जिला धार.	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बदनावर, जिला धार.	सदस्य
		3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बदनावर, जिला धार.	सदस्य
		4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बदनावर.	सदस्य
5 धारा 13 (3) ङ्		वित्तीय संस्था के सदस्य	
		1. प्रबंधक, (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा बदनावर जि. धार.	सदस्य
		अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सरदारपुर	
क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1 धारा 13 (3) क		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सरदारपुर.	अध्यक्ष
2 धारा 13 (3) ख		जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्री बंशीलाल पिता मानसिंह अमझेरा.	सदस्य
		2. श्री सुखराम पिता अमरसिंह नि. टांडाखेडा, मेहगांव.	सदस्य
3 धारा 13 (3) ग		जिले के सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री दिविविजयसिंह राठौड़, सरदारपुर.	सदस्य
		2. श्री त्रिलोक पाल नि. बिल्हिया, सरदारपुर.	सदस्य
		3. श्री मुस्लिम शेख नि. लाबरिया.	सदस्य
		4. श्री गोपाल गर्ग, सरदारपुर.	सदस्य
		5. श्री अखिलेश शर्मा सरदारपुर.	सदस्य
4 धारा 13 (3) घ		राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरदारपुर.	सदस्य
		2. तहसीलदार, सरदारपुर.	सदस्य
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरदारपुर.	सदस्य
		4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरदारपुर.	सदस्य
		5. श्रम निरीक्षक, धार	सदस्य
		6. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सरदारपुर.	सदस्य
5 धारा 13 (3) ङ्		वित्तीय संस्था के सदस्य	
		1. प्रबंधक, (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा राजगढ़-सरदारपुर जि. धार.	सदस्य
		अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, कुक्षी	
क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1 धारा 13 (3) क		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुक्षी.	अध्यक्ष
2 धारा 13 (3) ख		जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्री रामसिंह धार्वा, एडब्ल्यूकेट कुक्षी, जि. धार.	सदस्य
		2. श्री सरदारसिंह चौहान, कुक्षी, जिला धार.	सदस्य
		3. श्री मदनसिंह बघेल, कुक्षी जिला धार.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3 धारा 13 (3) ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता		
	1. डॉ. श्री निर्मल पाटीदार, निवासी गायत्री कॉलेनी, कुक्षी जि. धार.	सदस्य	
	2. डॉ. श्री राज बर्फा, नि. लोहारी तह. कुक्षी जि. धार.	सदस्य	
4 धारा 13 (3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित		
	1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुक्षी, जिला धार.	सदस्य	
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुक्षी बाग, डही एवं निसरपुर	सदस्य	
	3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर.	सदस्य	
	4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कुक्षी.	सदस्य	
5 धारा 13 (3) झ	वित्तीय संस्था के सदस्य		
	1. प्रबंधक, (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा कुक्षी, जिला धार.	सदस्य	
	अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मनावर		
क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1 धारा 13 (3) क	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार.		अध्यक्ष
2 धारा 13 (3) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य		
	1. श्रीमती किरण पति दिलीप गोयल, ग्रा. व पो. अजंदा तह. मनावर.	सदस्य	
	2. श्री केदारसिंह किशनसिंह जामोद ग्राम रोजाबयड़ा पो. जीराबाद, तह. गंधवानी, जिला धार.	सदस्य	
	3. श्री महेन्द्रसिंह राजाराम अचाले, ग्राम तारापुर (लालमाटिया) पो. तारापुर तह. धरमपुरी, जिला धार.	सदस्य	
3 धारा 13 (3) ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता		
	1. श्री राजेश उंकार पटेल, नि. पाटादीर मोहल्ला, मनावर जि. धार.	सदस्य	
	2. श्री दिनेश जगन्नाथ जौहरी, निवासी पटेल कॉलोनी, मनावर तह. मनावर जिला धार.	सदस्य	
4 धारा 13 (3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित		
	1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.	सदस्य	
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.	सदस्य	
	3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.	सदस्य	
	4. तहसीलदार, मानवर, गंधवानी एवं धरमपुरी.	सदस्य	
5 धारा 13 (3) झ	वित्तीय संस्था के सदस्य		
	1. प्रबंधक, (बैंक ऑफ इंडिया) शाखा मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.	सदस्य	

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 फरवरी 2016

प्र. क्र. 3 अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोषरा मध्यम परियोजना तहसील, नसरूल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

स. क्र.	ग्राम:—बोरखेड़ाखुर्द	विवरण	तहसील—नसरूल्लागंज		
			संचित	असंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	निजी भूमि				
	(1) गोपालपुर वितरिका	0.180	0	0.180	
	योग . .	0.180	0	0.180	

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
- (3) अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन में।
- (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता के प्रति।
- (ख) लोक प्रयोजन के लिये किये गये औचित्य के प्रति।
- (ग) सामाजिक समाधान निधरिण रिपोर्ट के निष्कर्ष के प्रति।
- आक्षेप कर सकेगा।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 11 मार्च 2016

क्र. 2039-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	कुर्वाह	14.968	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2041-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	अमरवाह	12.248	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सीधी, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 358-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी

के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	टीकटकला	23.258	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) परिचम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट-रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 360-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	शिवपुरवा	3.622	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) परिचम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट-रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 362-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा

12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	चिलरीकला	8.727	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट-रामपुर-नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 364-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	चिलरीखुर्द	0.655	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट-रामपुर-नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 366-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सीधी	चुरहट	भितरी	23.240	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट-रामपुर-नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016**

प्र. क्र. 074-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	भिलसांय	निजी भूमि रकबा 0.613 है। उपमुख्य अभियंता निर्माण, एवं शासकीय भूमि रकबा 0.287 है। कुल रकबा 0.900 है।	पश्चिम मध्य रेलवे। ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 075-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	फुलवारी	निजी भूमि रकबा 15.875 है। उपमुख्य अभियंता निर्माण, एवं शासकीय भूमि रकबा 0.425 है। कुल रकबा 16.300 है।	पश्चिम मध्य रेलवे। ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. 1325-दस-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है। कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वस्थान में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	ग्राम- थाडापाथर	132/1/क प.ह.न. 63	0.000 0.010	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र).	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना.
			132/1/ख रा.नि.मं. दमेहडी	0.000 0.202 0.603		
			300.914	1.026 3.473 0.737 0.598 0.498 0.530 0.599 0.101 1.108 1.489 1.477 2.493 0.000 0.000 1.275 0.000 0.856 0.117 1.927 0.854 0.918 0.000 0.454 0.000		
			141			
			142			
			143			
			144			
			146/1			
			146/2			
			147			
			148/1			
			148/2			
			149			
			150			
			151			
			152			
			153/1			
			153/2			
			153/3			
			153/4			
			154			
			156			
			157			
			158			
			159			
			171/1/क			
			171/1/ख			
			171/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			171/3	0.000		
			172	0.055		
			173/2	0.020		
			176	0.697		
			176/667	0.022		
			280/661	0.942		
			284/1	0.000		
			284/2	0.030		
			284/3	0.000		
			285	0.052		
			296/1	0.000		
			296/2	0.812		
			296/3	0.000		
			296/4	0.000		
			297	0.255		
			298/1	0.456		
			298/2	0.582		
			298/3	0.593		
			298/4	0.125		
			298/5	0.125		
			299	0.129		
			300/1	0.227		
			300/2	0.077		
			301	0.304		
			301/1	0.040		
			301/2	0.065		
			303/1	1.295		
			303/2	1.299		
			305	0.336		
			310	0.228		
			311/1	0.000		
			311/2	2.412		
			311/3	0.000		
			312/1/क	0.266		
			312/1/ख	0.266		
			312/2	0.405		
			313/1	0.304		
			313/2	0.306		
			314	0.445		
			315	0.287		
			317	0.182		
			318/1	0.655		
			318/2	0.251		
			319	1.238		
			320/1	1.580		
			320/2	1.580		
			320/3	1.580		
			321	0.049		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			324	0.053		
			325	0.700		
			327	0.206		
			328/1	0.611		
			328/2	0.611		
			329	0.773		
			330	0.020		
			331/1	0.801		
			331/2	0.680		
			332	1.093		
			333/1	0.210		
			333/2	0.178		
			333/3	0.244		
			334	1.607		
			335	0.644		
			337	0.482		
			339	0.729		
			340/1	0.206		
			340/2	0.176		
			340/3	0.177		
			341	0.040		
			342/2	0.304		
			343	0.247		
			344	1.639		
			345	0.808		
			346/1	0.359		
			346/2	0.392		
			346/3	0.325		
			347	1.684		
			348	1.748		
			349	0.906		
			350	0.991		
			351/1	0.813		
			351/2	0.814		
			352/1	1.283		
			352/2/क	0.644		
			352/2/ख	0.644		
			353	0.684		
			354/1	0.176		
			354/2	0.176		
			355/1	0.202		
			355/2	0.571		
			356/1	0.441		
			356/2	0.093		
			357/1	0.223		
			357/2	0.372		
			358/1	1.793		
			358/2	1.384		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			359	3.727		
			360	0.821		
			361/1	0.246		
			361/2	0.241		
			361/3	0.428		
			361/4	0.234		
			361/5	0.243		
			362	0.761		
			363	0.283		
			364/1	0.458		
			364/2	0.121		
			365	0.158		
			366	1.242		
			367/1	0.059		
			367/2	0.890		
			367/3	1.303		
			368/1	0.403		
			368/2	0.751		
			368/3	0.679		
			370/1	0.506		
			370/2	0.505		
			371	0.717		
			372	0.802		
			373	1.044		
			374	1.108		
			375	1.396		
			376/1	0.607		
			376/2	0.126		
			377/1	0.361		
			377/2	0.239		
			377/3	0.028		
			378/1	0.332		
			378/2	0.809		
			379/1	0.661		
			379/2	0.654		
			380	0.526		
			381	0.465		
			382/1	0.543		
			382/2	0.962		
			383/1	0.218		
			383/2	0.482		
			384	0.372		
			385/1	0.041		
			385/2	0.303		
			386	0.425		
			387	0.551		
			388/1	0.425		
			388/2	0.429		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			389	0.749		
			390/1	0.425		
			390/2/1	0.214		
			390/2/2	0.210		
			391	0.380		
			392	0.462		
			393	0.384		
			394	0.648		
			395	0.597		
			396/1	0.363		
			396/2	0.604		
			397	0.640		
			398	0.458		
			399/1	0.198		
			399/2	0.198		
			400/1	0.121		
			400/2	0.373		
			401/1	0.389		
			401/2	0.024		
			402/1	0.116		
			402/2	0.346		
			403/1	0.116		
			403/2	0.065		
			404	0.543		
			405	0.061		
			406	0.413		
			406/663	0.190		
			407	0.057		
			408/1	0.182		
			408/2	0.081		
			408/3/क	0.303		
			408/3/ख	0.303		
			409/1/क	0.481		
			409/1/ख	0.481		
			409/2/क	0.319		
			409/2/ख	0.319		
			409/2/ग	0.324		
			410/1	0.196		
			410/2	0.195		
			410/3	0.196		
			411/1	0.301		
			411/2	0.303		
			411/3	0.303		
			411/4	0.303		
			412	0.692		
			413	0.049		
			414/1	0.951		
			414/2	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			415	0.668		
			416/1	0.316		
			416/2	1.011		
			416/3	1.011		
			416/4	1.011		
			417	0.696		
			418	0.510		
			419/1	0.065		
			419/2	0.061		
			420/1/क	0.258		
			420/1/ख	0.401		
			420/1/ग	0.025		
			420/2	0.688		
			421	0.709		
			422/1	0.187		
			422/2	0.129		
			423/1	0.238		
			423/2	0.191		
			424	1.011		
			425	0.216		
			426/1	0.139		
			426/2	0.391		
			427	0.486		
			428/2	0.283		
			428/3	0.101		
			429	0.902		
			430	2.979		
			431	1.088		
			432	0.530		
			433	0.089		
			434	0.198		
			435	0.097		
			436	0.065		
			437/1	0.024		
			437/2	0.024		
			437/3	0.028		
			437/4	0.028		
			439	0.045		
			440	0.069		
			441	0.057		
			442	0.053		
			443	0.121		
			444/2	0.093		
			445	0.077		
			447/1	0.020		
			447/2	0.020		
			447/3	0.019		
			447/4	0.016		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			450	0.101		
			454/1	0.023		
			454/2	0.022		
			454/3	0.022		
			454/4	0.022		
			455/1	0.023		
			455/2	0.022		
			456	0.162		
			457	0.097		
			458/1	0.238		
			458/2	0.238		
			459	0.129		
			460	0.632		
			461/1	0.712		
			461/2	0.708		
			462	1.068		
			463	0.206		
			464	0.372		
			465	0.841		
			466/1	0.223		
			466/2	0.227		
			467/1	0.341		
			467/2	0.341		
			468/1	0.751		
			468/2	0.758		
			469	0.547		
			470	0.190		
			471	0.474		
			472/1	0.073		
			472/2	0.073		
			472/3	0.106		
			473/1	0.469		
			473/2/क	0.286		
			473/2/ख	0.182		
			473/3	0.026		
			474/1	0.103		
			474/2	0.103		
			474/3	0.102		
			475	0.425		
			476/1	0.587		
			476/2	1.137		
			477	1.011		
			478	1.104		
			479	1.821		
			480/1	0.788		
			480/2	0.405		
			481/1	0.352		
			481/2	0.348		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			481/3	0.348		
			482/1	0.230		
			482/2	0.230		
			482/3	0.230		
			482/4	0.230		
			483/1	0.688		
			483/2	0.688		
			484	1.080		
			485	1.078		
			486/2	0.314		
			486/3	0.303		
			486/4/क	0.142		
			486/4/ख	0.081		
			486/4/ग	0.081		
			488	0.999		
			489	1.501		
			489/674/1	0.486		
			490	0.668		
			491	1.049		
			492/1	0.938		
			492/2	0.849		
			493	0.841		
			494	0.575		
			495/1/1	0.247		
			495/1/2	0.252		
			495/1/3	0.252		
			495/2	0.755		
			496	0.902		
			497	0.595		
			498/1	0.509		
			498/2	0.510		
			499/1	0.988		
			499/2	0.983		
			500	0.510		
			501	0.567		
			502	0.886		
			503	0.150		
			504/1	0.405		
			504/2	0.445		
			505/1	0.648		
			505/2	0.202		
			505/3	0.202		
			506/1	0.332		
			506/2	0.336		
			507	1.044		
			508	1.384		
			509	0.109		
			510/2	0.101		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			510/3/1	0.049		
			510/3/2	0.052		
			510/4	0.202		
			511	2.513		
			512/1	0.260		
			512/2	0.536		
			513	1.104		
			514	0.817		
			515/1	1.121		
			515/2	0.745		
			516	0.198		
			517	0.967		
			518/2	0.101		
			519	0.717		
			520/1/1	0.434		
			520/1/2	0.052		
			520/2	0.049		
			521	0.757		
			522	0.109		
			523	0.624		
			525	1.445		
			526	1.793		
			527/1	1.005		
			527/2	1.005		
			527/3	1.005		
			527/4	1.005		
			527/5	1.006		
			528	0.773		
			529	0.583		
			530/1	0.056		
			530/2	0.057		
			531	0.902		
			532/1	0.425		
			532/2	0.435		
			533/1	0.097		
			533/2	0.097		
			534	1.534		
			535/1	0.283		
			535/2	1.086		
			536/1/1	0.101		
			536/1/2	0.413		
			536/1/3	0.413		
			536/2	0.384		
			537	0.405		
			538/1	0.162		
			538/2	0.202		
			539	0.813		
			540/1	0.454		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			540/2	0.466		
			541/1	1.157		
			541/2	1.157		
			541/3	0.474		
			542/1	1.556		
			542/2	0.113		
			543/1	0.113		
			543/2	0.444		
			544	0.470		
			545/1	0.592		
			545/2	0.356		
			546	0.245		
			547/1	0.494		
			547/2	0.401		
			548	0.793		
			549/1	0.091		
			549/2	0.708		
			550	0.330		
			551	0.202		
			552/2	0.405		
			553	0.530		
			554	0.332		
			555/1	0.097		
			555/2	0.097		
			555/3	0.101		
			556/1	0.284		
			556/3	0.235		
			557/1	0.267		
			557/2	0.405		
			558/1/1	0.141		
			558/1/2	0.141		
			558/1/3	0.140		
			558/2/1	0.166		
			558/2/2	0.036		
			559/1	0.057		
			559/2	0.036		
			560	0.146		
			561/1	0.045		
			561/2	0.032		
			562	0.077		
			563/1	0.045		
			563/2	0.048		
			563/669	0.008		
			564	0.093		
			564/670	0.008		
			566/2/1	0.013		
			566/2/2	0.149		
			566/671	0.097		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			567	0.259		
			568/1	0.170		
			568/2	0.081		
			568/3	0.117		
			568/4	0.101		
			569/1/ख	0.061		
			569/2/1	0.028		
			569/2/2	0.024		
			569/2/3	0.024		
			569/2/4	0.024		
			569/3	0.101		
			569/4/1	0.004		
			569/4/2	0.008		
			569/5	0.101		
			569/6	0.020		
			569/7	0.121		
			569/8	0.109		
			569/9/क	0.061		
			569/9/ख	0.040		
			570/1	0.210		
			570/2	0.405		
			571	0.741		
			572	2.379		
			573/1	0.644		
			573/2	0.639		
			574	0.680		
			575	0.688		
			576/1/क	0.407		
			576/1/ख	0.250		
			576/2/क	0.164		
			576/2/ख	0.809		
			576/2/ग	0.686		
			577	2.063		
			578	1.667		
			579/2	0.202		
			579/3	0.202		
			579/4	0.405		
			580/1	0.077		
			580/2	0.073		
			581	0.543		
			582/1	0.303		
			582/2	0.405		
			582/3	0.405		
			582/4	0.405		
			582/5	0.405		
			583	0.129		
			584	0.085		
			585	0.146		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			585/672	0.008		
			586/1	0.154		
			586/2	0.061		
			587/1	0.036		
			587/2	0.032		
			588	0.040		
			589/1/क	0.186		
			589/1/ख	0.101		
			589/1/ग	0.040		
			589/1/घ	0.101		
			589/1/ड	0.222		
			589/2	0.672		
			590/1	0.077		
			590/2	0.077		
			591	0.138		
			592	0.530		
			594	0.049		
			595	0.154		
			596/1	0.069		
			596/2	0.073		
			597/1	0.077		
			597/2	0.077		
			599/1	0.542		
			599/2	0.320		
			599/673/1	0.526		
			599/673/2	0.542		
			600/1/क	0.546		
			600/1/ख	0.546		
			600/1/ग	0.546		
			600/1/घ	0.405		
			600/1/ड	0.405		
			600/2/क	0.498		
			600/2/ख	0.498		
			600/2/ग	0.498		
			600/2/घ	0.324		
			600/2/ड	0.324		
			600/2/च	0.405		
			600/3/क/1	0.488		
			600/3/क/2	0.488		
			600/3/क/3	0.489		
			600/3/क/4	0.488		
			600/3/ख	0.607		
			601/1	0.160		
			601/2	0.451		
			602/1	0.579		
			602/2/क	0.329		
			602/2/ख	0.254		
			602/3	0.587		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			602/4/क	0.049		
			602/4/ख	0.052		
			602/674/2	0.324		
			602/675	0.012		
			602/676	0.008		
			602/677	0.008		
			602/678	0.008		
			603/2	0.061		
			603/3	0.061		
			603/4	0.061		
			603/5	0.101		
			603/6	0.202		
			604/1	0.061		
			604/2/क	0.054		
			604/2/ख	0.054		
			604/2/ग	0.054		
			604/3	0.061		
			604/4/क	0.020		
			604/4/ख	0.020		
			605/1	0.170		
			605/2	0.170		
			606/1/क	0.081		
			606/1/ख	0.081		
			606/2	0.150		
			607/1	0.330		
			607/2	0.330		
			608	0.012		
			609	1.461		
			610/1	1.548		
			610/2	1.548		
			610/3/1	0.166		
			610/3/2	0.170		
			611	1.214		
			612	0.352		
			614	1.113		
			615	0.586		
			617	0.384		
			618	0.506		
			619/1	0.160		
			619/2	0.160		
			620/1	0.738		
			620/2	0.729		
			621/1	1.753		
			621/2	1.757		
			622/1	0.413		
			622/2	0.409		
			623/1	1.044		
			623/2	1.044		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			623/3	1.044		
			624	0.991		
			625	1.801		
			626	1.599		
			627/1	0.276		
			627/2	0.275		
			627/3	0.081		
			628	0.785		
			629	0.777		
			630/1	0.656		
			630/2	0.656		
			631/1	0.959		
			631/2	0.964		
			632/1	0.344		
			632/2	0.348		
			632/669	0.008		
			633/1	0.036		
			633/2	0.405		
			633/3	0.202		
			634	0.628		
			635	0.373		
			363	0.482		
			637	1.202		
			638	0.967		
			639	0.607		
			640	0.231		
			641	0.065		
			642/1	0.454		
			642/2	0.454		
			643	0.356		
			644/1	0.150		
			644/2	0.384		
			645	0.304		
			647/1	0.346		
			647/2	0.202		
			647/3	0.202		
			648	0.632		
			649	0.429		
			650	0.016		
			651	0.032		
			652	0.405		
			653/1	0.607		
			653/2	0.603		
			654	0.212		
			655	0.121		
			656/1	0.302		
			656/2	0.204		
			657	0.174		
			658/1	0.380		
			658/2	0.380		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			658/3	0.379		
			658/4	0.379		
			658/5	0.379		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिणडौरी में किया जा सकता है।

क्र. 1326-दस-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभालना है। कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	घाटा	61/2	भू-अर्जन अधिकारी, जिला	अपर नर्मदा सिंचाई	
		प.ह.न. 66	61/3	अनूपपुर (म. प्र).	परियोजना।	
		रा.नि.मं.	61/4			
		दमेहडी	61/5क			
		219.414	61/5ख			
			61/5ग			
			61/6			
			61/7			
			61/8			
			61/9			
			61/10			
			61/11			
			61/12क	4.197		
			61/12ख			
			61/12ग			
			61/13			
			61/14क			
			61/14ख			
			61/15क			
			61/15ख			
			61/16			
			61/17			
			61/18			
			61/19			
			61/20			
			62/2			
			62/3			
			62/4			
			62/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			64/1ख	0.020		
			64/2	1.214		
			64/3क	0.676		
			64/3ख	1.348		
			64/4क	0.141		
			64/4ख	0.142		
			64/5क	0.138		
			64/5ख	0.672		
			64/6	0.809		
			64/7	0.405		
			64/8	0.101		
			64/9	0.109		
			65	1.416		
			66/1	0.721		
			66/2	0.720		
			67/1	0.555		
			67/2	0.545		
			68/1	0.251		
			68/2/क	0.123		
			68/2/ख	0.124		
			69/2/क	0.121		
			69/2/ख	0.121		
			69/2/ग	0.121		
			69/2/घ	0.121		
			69/2/ड	0.121		
			69/3	0.405		
			69/4	0.405		
			69/5	0.809		
			69/6/क	0.061		
			69/6/ख	0.060		
			69/7	0.364		
			69/8	0.230		
			70	0.097		
			71	0.049		
			72	0.150		
			73/2/1/क	0.110		
			73/2/1/ख	0.109		
			73/2/2	0.186		
			73/3/क	0.202		
			73/3/ख	0.303		
			73/3/ग	0.303		
			73/4/क	0.203		
			73/4/ख	0.202		
			73/5	0.081		
			73/6	0.101		
			73/7	0.303		
			73/8	0.084		
			75/2/क	0.154		
			75/2/ख/1	0.038		
			75/2/ख/2	0.056		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			75/2/ख/3	0.056		
			75/3	0.202		
			75/4/क	0.089		
			75/4/ख	0.077		
			75/4/ग	0.170		
			75/5/क	0.032		
			75/5/ख	0.032		
			75/5/ग	0.032		
			75/5/घ	0.032		
			75/5/ड	0.032		
			75/6	0.129		
			75/7	0.101		
			75/8	0.028		
			75/9	0.040		
			75/10	0.040		
			76/1	0.405		
			76/2	0.420		
			77	0.175		
			78/2			
			78/3			
			78/4			
			78/5/क			
			78/5/ख	0.375		
			78/5/ग			
			78/5/घ			
			78/6			
			78/7			
			83/1	0.075		
			83/2			
			84/1			
			84/2/1			
			84/2/2	0.107		
			84/3			
			84/4/क			
			84/4/ख			
			86/1			
			86/2/क	0.085		
			86/2/ख			
			88/1	0.045		
			88/2	0.049		
			89/1	0.129		
			89/2	0.129		
			90	0.235		
			91	0.113		
			92	0.668		
			93	0.376		
			94/1	0.876		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			94/2	0.809		
			95/1			
			95/2			
			95/3			
			95/4/क	3.795		
			95/4/ख			
			95/5/क			
			95/5/ख			
			95/6			
			95/7			
			96/1	0.785		
			96/2/क	0.393		
			96/2/ख	0.392		
			97/1	0.401		
			97/2/क	0.196		
			97/2/ख	0.197		
			98/1	0.680		
			98/2	0.680		
			99	0.700		
			100	1.235		
			103	0.085		
			104	0.023		
			157/1	0.475		
			157/2			
			159/1			
			159/2	1.170		
			159/3			
			160	0.526		
			161	0.077		
			163	2.120		
			164/1	0.549		
			164/2	0.549		
			164/3	0.549		
			165/1	0.599		
			165/2	1.214		
			165/3	0.809		
			165/4	1.003		
			166/1	1.023		
			166/2	1.024		
			166/380	0.486		
			168	0.356		
			169/1	0.202		
			169/2	0.085		
			170	0.065		
			171/1	0.421		
			171/2	0.623		
			172/1	0.816		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			172/2	0.821		
			173	1.102		
			174/1	0.223		
			174/2/क	0.113		
			174/2/ख	0.057		
			174/2/ग	0.057		
			175/1	0.502		
			175/2/क	0.253		
			175/2/ख	0.126		
			175/2/ग	0.127		
			176/1	0.360		
			176/2/क	0.140		
			176/2/ख	0.069		
			176/2/ग	0.070		
			177/1	0.409		
			177/2/क	0.145		
			177/2/ख	0.073		
			177/2/ग	0.073		
			178/1	0.121		
			178/2/क	0.060		
			178/2/ख	0.030		
			178/2/ग	0.031		
			179	0.632		
			180/1	0.486		
			180/2	0.230		
			180/3	0.255		
			181/1	0.230		
			181/2	0.590		
			181/3	0.271		
			181/4	0.105		
			182/1	0.134		
			182/2	0.234		
			183/1	0.449		
			183/2/क	0.227		
			183/2/ख	0.113		
			183/2/ग	0.114		
			184	0.575		
			185	2.084		
			187/1	0.370		
			187/2	0.365		
			188	1.169		
			189	1.153		
			191	0.344		
			192/1	0.338		
			192/2	0.330		
			193/1	1.019		
			193/2/क	0.513		
			193/2/ख	0.510		
			194/1	0.656		
			194/2	0.275		
			195	0.571		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			196	0.263		
			197/2	0.243		
			197/3	0.081		
			197/4	0.405		
			197/382	0.049		
			197/383	0.065		
			198/1/क	0.239		
			198/1/ख	0.238		
			198/2	0.478		
			199/1	0.222		
			199/2	0.061		
			200	0.186		
			201	0.036		
			202	0.040		
			203	0.053		
			204/2	0.405		
			205	0.300		
			206/1	0.029		
			206/2	0.014		
			206/3	0.014		
			208/1	0.016		
			208/2	0.008		
			208/3	0.008		
			209/1	0.049		
			209/2	0.121		
			209/3/क	0.022		
			209/3/ख	0.011		
			209/3/ग	0.012		
			210	0.930		
			212	0.231		
			213/1	1.618		
			213/2	0.522		
			213/3	0.523		
			214/1	0.186		
			214/2/क	0.093		
			214/2/ख	0.093		
			215	0.251		
			216/2	0.231		
			217/1	0.115		
			217/2	0.116		
			218/1	0.380		
			218/2	0.381		
			218/3/क	0.216		
			218/3/ख	0.217		
			219	0.433		
			220/2	0.081		
			220/3	1.133		
			220/4	0.607		
			221	0.045		
			222	0.926		
			223	1.380		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			224	0.206		
			225/1	0.295		
			225/2	0.295		
			226	0.611		
			227/1	0.273		
			227/2	0.274		
			228/1	0.290		
			228/2	0.289		
			229/1	0.979		
			229/2/क	0.489		
			229/2/ख	0.356		
			229/2/ग	0.134		
			230/1	0.607		
			230/2	0.798		
			231/2	0.405		
			231/3	0.405		
			231/4	0.101		
			232	0.154		
			233/1/1	0.665		
			233/1/2	0.666		
			233/2/1	0.263		
			233/2/2	0.263		
			234/1	0.202		
			234/2	0.405		
			234/3	1.052		
			234/4	0.434		
			234/5/क	0.065		
			234/5/ख	0.069		
			234/5/ग	0.138		
			234/5/घ	0.069		
			234/6	0.809		
			384/1	0.506		
			384/2	0.505		
			235	0.506		
			236/1/1	0.053		
			236/1/2	0.405		
			236/1/क	0.506		
			236/1/ख	0.506		
			236/1/ग	0.506		
			236/1/घ	0.053		
			236/2/क	0.275		
			236/2/ख	0.267		
			236/2/ग	0.267		
			236/2/घ	0.181		
			237/2	0.040		
			237/3			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			238/1/क			
			238/1/ख			
			238/1/ग			
			238/1/घ			
			238/1/ड			
			238/2/क	0.630		
			238/2/ख			
			238/2/ग			
			238/2/घ			
			238/2/ड			
			238/3			
			239/1	1.520		
			239/2			
			240	2.967		
			241/1			
			241/2	0.427		
			241/3			
			241/4			
			243/1			
			243/2	0.476		
			243/3			
			244	0.910		
			245	3.601		
			245/385	1.173		
			246	0.761		
			247	1.371		
			248	3.105		
			249/1/1	0.546		
			249/1/2	0.061		
			249/2	0.247		
			250/1	0.259		
			250/2	0.396		
			250/3	0.401		
			251/1	0.955		
			251/2	0.716		
			252/1	0.571		
			252/2	0.485		
			252/3	0.575		
			252/4/क	0.905		
			252/4/ख	0.306		
			252/4/ग	0.533		
			253/1	1.007		
			253/2	1.214		
			254	1.092		
			255	0.409		
			256/2	0.202		
			256/3	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			257	0.101		
			258	0.809		
			259	0.705		
			260	0.279		
			261	0.773		
			262/1	0.143		
			262/2	0.144		
			263	0.125		
			264/1	0.405		
			264/2	0.441		
			265/1/क	0.251		
			265/1/ख	0.250		
			265/2	0.506		
			266/1	0.231		
			266/2	0.231		
			267	0.308		
			268	0.332		
			269	0.194		
			270	0.219		
			271	0.971		
			272/1/क	0.567		
			272/1/ख	0.445		
			272/2	0.324		
			272/3	1.133		
			273	0.571		
			274/1	0.922		
			274/2	0.405		
			275	0.607		
			276	0.898		
			277	0.961		
			278	1.070		
			279/1	0.809		
			279/1	0.372		
			280	0.971		
			281/1	0.154		
			281/2	0.251		
			281/3	0.138		
			281/4	0.303		
			281/5	0.121		
			282	0.684		
			283	1.167		
			284	0.555		
			285	0.784		
			286/1	0.181		
			286/2	0.607		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			287	0.611		
			288/1	0.202		
			288/2	0.061		
			288/3	0.093		
			289	0.611		
			290	0.632		
			291	0.498		
			292/1	0.405		
			292/2	0.309		
			293/2	0.101		
			293/3	0.150		
			293/4	0.056		
			294	0.854		
			295	0.583		
			296/1	0.708		
			296/2	0.664		
			297	0.644		
			298/1	0.202		
			298/2	0.109		
			298/3	0.607		
			298/4	0.607		
			299/1	0.202		
			299/2	0.405		
			299/3	0.170		
			300	0.922		
			301/1/1	0.453		
			301/1/2	0.453		
			301/2	0.202		
			301/3	1.011		
			303/1	0.142		
			303/2	0.194		
			304/1	0.809		
			304/2	1.283		
			306/1	0.069		
			306/2	0.405		
			306/3	0.405		
			307/1	0.664		
			307/2	0.809		
			308	0.356		
			309	1.291		
			310/1	0.281		
			310/2	0.356		
			311/1	0.837		
			311/2	0.194		
			312	0.219		
			313/1	0.470		
			313/2	0.101		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			314/1/1	0.272		
			314/1/2	0.186		
			314/1/3	0.125		
			314/2	0.101		
			315/1	0.223		
			315/2	0.222		
			315/3	0.085		
			315/4	0.146		
			316/1	0.048		
			316/2	0.480		
			317/1	0.130		
			317/2	0.133		
			318/1	1.010		
			318/2/क	0.605		
			318/2/ख	0.405		
			319/1	0.198		
			319/2	0.341		
			320/1/क	0.478		
			320/1/ख	0.405		
			320/2	0.486		
			321/1	0.322		
			321/2	0.322		
			322	0.295		
			323/1	0.237		
			323/2	0.237		
			324	0.474		
			325	0.910		
			326	1.064		
			329/1	0.243		
			329/2	0.622		
			330	1.923		
			331	0.178		
			332	0.125		
			333	0.186		
			334	0.506		
			335/1	0.290		
			335/2	0.289		
			336/1	0.304		
			336/2	0.809		
			336/3	2.315		
			337	0.615		
			338/1	0.878		
			338/2	0.647		
			338/370	0.753		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			339	0.352		
			340	0.486		
			341	1.769		
			342	0.105		
			343/1/क	0.349		
			343/1/ख	0.405		
			343/2	0.746		
			343/3	0.841		
			344	0.182		
			345/2	0.053		
			346	1.084		
			347	1.882		
			348	0.862		
			349	0.368		
			350	0.587		
			351	1.210		
			352	0.177		
			353	0.405		
			354	0.304		
			355/1	0.514		
			355/2	0.202		
			356	0.737		
			357	0.786		
			358/1	0.202		
			358/2/1	0.433		
			358/2/2	0.466		
			358/2/3	0.202		
			359	0.926		
			360/1/2/क	0.202		
			360/1/क/1	0.307		
			360/1/क/2	0.202		
			360/1/ख	0.405		
			360/2	0.405		
			361/1	0.546		
			361/2	0.498		
			362	0.765		
			363	0.628		
			364	1.123		
			365/1	0.126		
			365/2	0.202		
			366/1/क	0.341		
			366/1/ख	0.202		
			366/2	0.809		
			366/3	0.809		
			367	0.364		
			368	0.247		
			369	0.753		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-1, डिण्डौरी में किया जा सकता है।

क्र. 1327-दस-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है। कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	अर्जनीय रकम (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	खेतगांव	346/2क		भू-अर्जन अधिकारी, जिला	अपर नर्मदा सिंचाई
		प.ह.न. 38,	346/2ख	0.109	अनूपपुर (म. प्र).	परियोजना.
		रा.नि.मं.	346/2ग			
		दमेहड़ी	346/2घ			
		375.29	347	0.105		
			349	0.020		
			350/1	0.964		
			350/2	0.075		
			350/3	0.152		
			351/1	0.405		
			351/2	0.695		
			352/1	0.308		
			352/2	0.150		
			353	1.433		
			354	0.435		
			390	0.474		
			391/1	0.506		
			391/2	0.256		
			391/3	0.607		
			391/4	0.101		
			391/5	0.053		
			391/6	0.121		
			392/1क			
			392/2	0.614		
			392/3			
			399/2	0.020		
			399/3	0.068		
			400	2.824		
			402/1	2.545		
			402/2	1.214		
			403/1	0.889		
			403/2	1.254		
			403/3	1.665		
			404/1	0.312		
			404/2	0.312		
			404/3	0.319		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			405	2.055		
			406	0.024		
			407/1	0.571		
			407/2/क	0.143		
			407/2/ख	0.142		
			407/2/ग	0.143		
			407/2/घ	0.143		
			408	1.343		
			409	1.011		
			410	0.809		
			411/1	0.804		
			411/2	0.803		
			412	0.886		
			413	1.356		
			414/1	1.522		
			414/2	0.407		
			415	0.890		
			416	0.470		
			417/1	0.050		
			417/2	0.043		
			418	0.206		
			418/1216	0.146		
			419/1	0.210		
			419/2	0.155		
			419/3	0.352		
			420/1	0.675		
			420/2	0.680		
			420/3	0.680		
			420/1217	0.688		
			421	1.655		
			422	1.526		
			423/1	0.445		
			423/2	0.405		
			423/3	0.202		
			424	0.069		
			425	0.344		
			426/1	0.328		
			426/2	0.328		
			426/3	0.328		
			426/4	0.332		
			427	0.866		
			428/1क	0.120		
			428/1ख	0.487		
			428/2	0.587		
			429/1	0.654		
			429/2	0.651		
			430/1	0.411		
			430/2	0.410		
			431	0.372		
			432	0.672		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			433/1	0.729		
			433/2	0.728		
			434	0.769		
			435	0.376		
			436/1	0.552		
			436/2	0.552		
			437	0.409		
			438/1	0.081		
			438/2	0.081		
			438/3	0.081		
			439	1.558		
			440	0.668		
			441	0.680		
			442/1	0.941		
			442/2	0.972		
			443/1	0.372		
			443/2	0.372		
			443/3	0.372		
			444	0.765		
			445	0.737		
			446	1.080		
			447/1/ग	0.070		
			447/1/घ	0.208		
			447/1/ड	0.208		
			447/1/च	0.208		
			447/2/क	0.005		
			447/2/ख	0.305		
			448	0.607		
			449/1	2.712		
			449/2			
			450/1/क			
			450/1/ख	0.150		
			450/2			
			453	0.245		
			454	0.817		
			455/1	0.244		
			455/2	0.244		
			455/3	0.244		
			456/1	0.756		
			456/2			
			514/1	0.020		
			514/2			
			516	0.195		
			517	0.425		
			518	0.129		
			519	2.148		
			520	0.717		
			521/1	0.944		
			521/2			
			522	2.549		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			523/1	1.279		
			523/2			
			524/1	0.813		
			524/2	0.813		
			525	0.761		
			526	1.311		
			527/1	0.292		
			527/2	0.292		
			527/3	0.291		
			528/1	0.692		
			528/2	0.692		
			528/3	0.688		
			529/1	0.497		
			529/2	0.405		
			530/1	0.498		
			530/2	0.578		
			531	0.684		
			532	0.926		
			533/2	0.162		
			533/3	0.101		
			533/4	0.202		
			534	0.138		
			535/1	0.352		
			535/2	0.356		
			536	0.934		
			537	0.704		
			538	1.736		
			540/1	0.248		
			540/2	0.248		
			540/3	0.248		
			541	1.202		
			542/1क	0.736		
			542/1ख	0.735		
			542/2	0.245		
			543/1	0.342		
			543/2	0.342		
			544	0.599		
			545	1.193		
			546	1.133		
			547/1	0.813		
			547/2	0.814		
			548/1	0.822		
			548/2	0.821		
			549	1.348		
			550	0.255		
			551/1	0.028		
			551/2	0.405		
			552/1	0.280		
			552/2	0.279		
			553	0.433		
			554	0.591		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			555	0.514		
			556/1	0.680		
			556/2	0.680		
			557	0.045		
			558	0.101		
			559	0.174		
			560	2.610		
			561	0.749		
			562/1	1.012		
			562/2			
			566	0.030		
			567	0.130		
			569/1			
			569/2/क	0.371		
			569/2/ख			
			569/3			
			570	0.994		
			571	1.388		
			572/1	0.352		
			572/2			
			607/1	0.225		
			607/2			
			628	0.040		
			629	0.230		
			630/1			
			620/2	0.185		
			630/3			
			631/1	0.486		
			631/2			
			632	0.162		
			633	0.409		
			634/1	1.335		
			634/2	0.486		
			634/3	0.146		
			635	0.089		
			636	1.072		
			637	0.020		
			638/1	0.263		
			638/2	0.263		
			639	0.312		
			640/1/क			
			640/1/ख			
			640/1/ग	0.917		
			640/2			
			640/3			
			640/4			
			641/1	0.560		
			641/2			
			672	0.050		
			673/1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			673/2	0.268		
			673/3			
			675	0.081		
			676/1	0.170		
			676/2			
			705	0.016		
			706	0.048		
			707	0.206		
			708/1	0.108		
			708/2	0.405		
			708/3	0.203		
			709/1क	0.416		
			709/1ख	0.203		
			709/2	0.615		
			710/1क	0.314		
			710/1ख	0.314		
			710/2	0.226		
			711/1	0.753		
			711/2	0.878		
			711/3	0.635		
			712/1	0.457		
			712/2	0.457		
			713	0.575		
			714	0.121		
			715	0.405		
			716	0.841		
			717/1	0.045		
			717/2	0.101		
			717/3	0.040		
			718	0.388		
			719/1	1.103		
			719/2	1.011		
			719/3क	0.405		
			719/3ख	0.607		
			719/4	1.011		
			720/1क	0.696		
			720/1ख	0.696		
			720/1ग	0.696		
			720/2क	0.405		
			720/2ख	0.264		
			720/3	0.267		
			720/4	0.809		
			720/5	0.405		
			721	1.327		
			722	0.360		
			723	0.765		
			724	0.825		
			725	0.429		
			727	0.502		
			728	0.829		
			729/1	0.619		
			729/2	0.623		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			729/3	0.202		
			729/4	0.421		
			730/1	1.182		
			730/2	0.340		
			731/1	1.205		
			731/2	0.405		
			732	1.056		
			733/1	0.651		
			733/2	0.405		
			734	1.003		
			735/1	0.522		
			735/2	0.522		
			736	0.959		
			737	0.494		
			738/1	0.214		
			738/2	0.224		
			738/3	0.255		
			738/4	0.255		
			740/1			
			740/2	0.222		
			740/3			
			740/4			
			742/1			
			742/2	1.455		
			742/3			
			755	0.198		
			756/1/ख	0.094		
			756/2	0.583		
			756/3	0.578		
			756/4	0.109		
			757	0.530		
			758	0.894		
			759	0.081		
			760/2	0.809		
			760/3	0.530		
			761/1	0.283		
			761/2	0.283		
			761/3	0.283		
			763	0.534		
			764/1	0.081		
			764/2	0.079		
			765	0.192		
			766	0.380		
			767/1	0.523		
			767/2			
			768	0.101		
			769	0.612		
			770	0.239		
			772	0.567		
			773	0.356		
			774	0.360		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			775	0.565		
			778/1			
			778/2	0.004		
			778/3			
			778/4			
			779	0.070		
			795/1/क			
			795/1/ख	0.028		
			795/2			
			868/1			
			868/2	0.445		
			868/3			
			868/4			
			871/1			
			871/2			
			871/3	0.955		
			871/4			
			871/5			
			872/1	0.384		
			872/2			
			873/1	0.032		
			873/2			
			887/1	0.202		
			887/2			
			888/1			
			888/2/क			
			888/2/ख			
			888/3	3.135		
			888/4			
			888/5			
			890/1	0.012		
			890/2			
			892/1/क	0.146		
			892/1/ख	0.140		
			892/1/ग	0.136		
			892/2	0.413		
			893/1	0.188		
			893/2	0.168		
			893/3	0.188		
			893/4	0.189		
			894	1.137		
			895/1	0.209		
			895/2	0.288		
			896	1.145		
			897	0.636		
			898	0.393		
			899	0.934		
			900	0.239		
			902	1.100		
			903/1	0.663		
			903/2	0.494		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			904/1	0.504		
			904/2	0.504		
			905	1.060		
			906	0.802		
			907	0.206		
			908/1	0.619		
			908/2	0.619		
			909/1	0.522		
			909/2	0.522		
			910	0.729		
			911	0.077		
			912	0.510		
			913	0.303		
			914	0.300		
			915	0.008		
			916/1	0.008		
			916/2			
			917	0.445		
			918/1	0.020		
			918/2			
			924	0.405		
			925	0.227		
			926	0.785		
			927	1.518		
			928	0.725		
			930	0.036		
			1002/1			
			1002/2	0.101		
			1002/3			
			1002/4			
			1003/1क			
			1003/1ख	0.880		
			1003/2			
			1004/1	0.132		
			1004/2	0.132		
			1005/1	0.131		
			1005/2क	0.303		
			1005/2ख	0.302		
			1005/3	0.121		
			1005/4	0.262		
			1005/5	0.101		
			1006/1	0.474		
			1006/2	0.473		
			1006/3	0.473		
			1007	0.186		
			1008	0.190		
			1009	0.171		
			1010	0.185		
			1028/1	0.524		
			1028/2	0.524		
			1029	0.332		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1031	0.308		
			1032/1	0.384		
			1032/2	0.380		
			1033	0.401		
			1034/1	0.624		
			1034/2	0.624		
			1035/1	0.305		
			1035/2	0.305		
			1036	0.364		
			1037	0.417		
			1038	1.145		
			1039	1.291		
			1040	0.162		
			1041	0.615		
			1042/1	0.287		
			1042/2	0.287		
			1042/3	0.287		
			1042/4	0.287		
			1044	0.615		
			1045	1.566		
			1046	2.039		
			1047/1	1.600		
			1047/2	0.152		
			1048	0.624		
			1049	0.417		
			1050/1	0.587		
			1050/2	0.587		
			1050/3	0.587		
			1051/1	1.086		
			1051/2	1.085		
			1051/3	1.086		
			1051/4	1.086		
			1052/1	0.405		
			1052/2	0.235		
			1053	1.230		
			1054	1.104		
			1055	0.105		
			1056/1	1.807		
			1056/2	0.809		
			1057/1	0.710		
			1057/2	0.216		
			1057/3	0.405		
			1058	0.841		
			1059	1.088		
			1060/1	0.777		
			1060/2	0.777		
			1061	1.023		
			1062/1	0.255		
			1062/2	0.405		
			1063	0.490		
			1064/1	0.916		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1064/2	0.508		
			1065/1	0.477		
			1065/2	0.405		
			1066/1	0.590		
			1066/1	0.202		
			1066/2	0.202		
			1067	0.640		
			1068	3.423		
			1069/1	1.765		
			1069/2क	0.101		
			1069/2ख	0.101		
			1069/3	0.202		
			1069/4	0.405		
			1070/1	1.600		
			1070/2	0.352		
			1071/1	0.518		
			1071/2	0.518		
			1072	0.454		
			1073	1.056		
			1074	0.906		
			1075	1.562		
			1076/1	1.036		
			1076/2	0.506		
			1076/3	0.303		
			1077/1	0.303		
			1077/2	0.316		
			1078/1	1.215		
			1078/2	0.810		
			1079/2	0.101		
			1079/3	0.061		
			1079/4	0.202		
			1080	1.242		
			1081	1.457		
			1082	0.467		
			1083	0.882		
			1084	0.384		
			1085/1	0.894		
			1085/2	0.890		
			1086	0.737		
			1087	0.833		
			1088	0.421		
			1089	0.190		
			1090	0.109		
			1091/1	0.152		
			1091/2	0.156		
			1092/1	0.164		
			1092/2	0.164		
			1093	0.109		
			1094	0.219		
			1095	2.711		
			1096	0.368		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1097/1	0.294		
			1097/2	0.292		
			1097/3	0.295		
			1098	0.308		
			1099	1.076		
			1103	0.490		
			1104/1	0.073		
			1104/2	0.028		
			1104/3	0.028		
			1104/4	0.024		
			1105	0.105		
			1106/1	0.348		
			1106/2	0.345		
			1106/3	0.348		
			1107	0.619		
			1108	0.263		
			1110/1	0.385		
			1110/2	0.384		
			1111/2	0.089		
			1112	1.817		
			1114	1.781		
			1115/1	0.492		
			1115/2	0.492		
			1116/1	0.180		
			1116/2	0.184		
			1117	0.648		
			1118/1	1.315		
			1118/2	1.319		
			1119	0.170		
			1120/1	0.696		
			1120/2	0.696		
			1121/2	0.202		
			1121/3	0.101		
			1121/4	0.202		
			1121/5	0.214		
			1121/6	0.142		
			1122	0.704		
			1123	0.789		
			1124	0.765		
			1125	1.197		
			1126/1	0.472		
			1126/2	0.464		
			1126/3	0.464		
			1127/1	0.252		
			1127/2	0.244		
			1127/3	0.248		
			1128/1	0.919		
			1128/2	0.919		
			1129/1	0.241		
			1129/2	0.241		
			1130/1	0.263		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1130/2	0.263		
			1131	0.210		
			1132/2	0.040		
			1132/3	0.405		
			1132/4	0.405		
			1133	0.134		
			1134/1	0.342		
			1134/2	0.342		
			1135/1	1.076		
			1135/2	1.076		
			1136	0.466		
			1137/1	0.910		
			1137/2/1	2.890		
			1137/2/2	0.668		
			1137/2/3	0.142		
			1138/1	0.548		
			1138/2	0.548		
			1139	1.072		
			1140	0.563		
			1141	0.741		
			1142	0.583		
			1143	0.223		
			1144	1.096		
			1145/1	0.237		
			1145/2	0.476		
			1146/1	0.388		
			1146/2	0.777		
			1147	0.454		
			1148/2क	0.020		
			1148/2ख	0.020		
			1148/2ग	0.020		
			1148/3	0.020		
			1148/4	0.304		
			1148/5	0.243		
			1149/1	0.264		
			1149/2क	0.128		
			1149/2ख	0.132		
			1149/3	0.266		
			1150	0.259		
			1151/1	1.336		
			1151/2	1.352		
			1151/3	1.336		
			1152/2	0.202		
			1152/3	0.202		
			1153	0.700		
			1154	0.644		
			1157	0.129		
			1158/1	0.266		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1158/2	0.266		
			1158/3	0.266		
			1159/1	0.477		
			1159/2	0.478		
			1159/3	0.478		
			1160	0.934		
			1161/1	0.151		
			1161/2	0.152		
			1161/3	0.151		
			1162/1क	0.368		
			1162/1ख	0.372		
			1162/2	0.809		
			1163/2	0.134		
			1163/3	0.210		
			1164	0.405		
			1165	1.728		
			1167	1.449		
			1168	0.125		
			1169/1	1.360		
			1169/2	0.914		
			1170	0.040		
			1172	0.251		
			1173/1क	0.405		
			1173/1ख	0.405		
			1173/1ग	0.405		
			1173/2क	0.680		
			1173/2ख	0.680		
			1173/3	0.405		
			1174/1	0.433		
			1174/2	0.433		
			1175	0.781		
			1176/1	0.462		
			1176/2	0.462		
			1177	4.006		
			1178	2.120		
			1180/1	0.736		
			1180/2	0.740		
			1180/3	0.736		
			1181/1	0.411		
			1181/2	0.412		
			1181/3	0.411		
			1182	0.498		
			1183/1	0.580		
			1183/2	0.584		
			1183/3	0.580		
			1183/4	0.584		
			1184	0.700		
			1185	0.380		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1186/1	0.081		
			1186/2	0.170		
			1187	0.789		
			1188	0.336		
			1189/1	0.077		
			1189/2	0.405		
			1190	0.555		
			1191	2.772		
			1192/1	0.360		
			1192/2	0.340		
			1192/3	0.340		
			1193/1क	0.604		
			1193/1ख	0.608		
			1193/2	1.226		
			1194/1	0.154		
			1194/2	0.154		
			1194/3	0.420		
			1196	1.505		
			1197	1.570		
			1198/1	0.083		
			1198/2	0.601		
			1199/1	0.134		
			1199/2	0.133		
			1199/3	0.134		
			1200/1क	0.588		
			1200/1ख	0.588		
			1200/2	1.176		
			1201/1	0.203		
			1201/2	0.203		
			1202	1.250		
			1203	0.328		
			1205/1	0.086		
			1205/2	0.170		
			1205/3क	0.084		
			1205/3ख	0.084		
			1205/4	0.170		
			1205/5	0.304		
			1206/1क	1.096		
			1206/1ख	1.092		
			1206/2	2.213		
			1207	1.963		
			1209	0.769		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा कलेक्टर कार्यालय, अनुपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र.-1 डिण्डोरी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. 861-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) पुरवा	(4) 0.086	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर की माइनर क्र. 4 नहर के निर्माण हेतु,

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 863-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अमाव	(4) 1.200	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु,

पत्र क्र. 865-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) चिल्लाखुर्द	(4) 1.250	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 867-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) गोदखुर्द	(4) 9.985	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 869-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) फूलदेहर	(4) 13.000	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 871-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) बराती खुर्द	(4) 1.995	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

रीवा, दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. 891-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) कल्याणपुर 57	(4) 0.030	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा।	(6) त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 893-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिस्मौर जिला रीवा।	त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु
रीवा	जवा	गुढ़ पवाई	0.160		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 895-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिस्मौर जिला रीवा।	त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु
रीवा	जवा	पाटी 322	3.040		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 28 मार्च 2016

क्र. 969-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ चूंकि

उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उपधारा (1) हेतु प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बकिया	3.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.2, सतना (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर महिदल क्र. 2 के विस्तार में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
	बाघेलान	तिवारियान			

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. भू-अर्जन-6 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.न.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	भपसा	7.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु।
		प. ह. नं. 32			

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	कोको रैयत प. ह. नं. 30	16.18	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	देवरी रैयत प. ह. नं. 32	11.13	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	केवलारी रैयत प. ह. नं. 33	9.77	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-10(अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	खमरौटी रै. प. ह. नं. 32	7.07	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला,	हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 मार्च 2016

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-14-15-10-पत्र क्र. 88-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)2014-सात-शा-2-ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रक्कावाला (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	मढ़ा	2.129	उपमुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-14-15-10-पत्र क्र. 89-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)2014-सात-शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सडवा	22.037	उपमुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु,

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-14-15-10-पत्र क्र. 90-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)2014-सात-शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गंगवरिया	8.780	उपमुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु,

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 2622-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चॉद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पचांव, ब.नं.-154, प.ह.नं. 42,
रा.नि.मंडल-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.653
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकमा
------------	-----------------

खसरा नम्बर	(हे. में)
------------	-----------

(1)	(2)
-----	-----

18/9, 20/6	0.188
18/8, 20/5	0.320
18/7, 19/4, 20/4	0.072
17/1	0.124
15/6, 16/4	0.070
15/1, 16/1	0.060
17/2	0.138
15/4, 16/2	0.070
15/8, 16/5	0.068
15/5, 16/3	0.126
15/9	0.096
17/4	0.122
99	0.280
99/1	0.380
103/1, 104/1	0.124
104/11	0.044
104/4, 112/3, 113, 114/3,	0.215
103/2, 104/3, 114/2	0.110

योग . . 07.653

(1)	(2)
114/1क	0.204
115/3	0.129
117/2, 117/7	0.132
152/14	0.038
152/13	0.038
153/2	0.048
152/4, 152/10, 153/4, 154/4	0.036
153/1, 154/3	0.048
152/25, 153/5, 154/7	0.088
152/29, 153/8, 154/9	0.034
153/10	0.096
152/2, 152/7	0.040
157/25	0.022
157/23-24	0.074
336/1, 363/2	0.400
157/19	0.151
167/2, 168/1, 173/1	0.112
167/1, 170/2	0.184
163/2, 174/1	0.260
172/1	0.074
172/4, 173/7, 173/8	0.074
186/2, 186/3	0.072
306/1-2-3-4-6, 307/1	0.200
303/1, 305/1	0.014
303/2, 305/2	0.200
303/4, 305/4	0.160
304/10	0.214
304/3, 310/1, 368/1	0.068
304/9, 310/8, 368/7	0.060
304/8, 310/7, 368/6	0.036
304/6, 310/5, 368/4	0.040
310/3, 311/2, 368/2	0.100
310/4	0.070
310/2, 311/1, 312/1	0.152
312/3	0.142
313/1	0.052
313/5	0.052
313/6	0.052
313/4	0.228
336/2, 363/3	0.080
336/4, 363/6	0.400
334/3, 335/3	0.254
333/2	0.118

2.	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।	(1)	(2)
3.	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।	6/3, 7 27 29/1-2 42/3, 56/1 56/2 34/6 33/2, 34/3 33/3, 33/4, 34/4 38/5, 39/1, 40/1 39/2, 40/2 39/4 39/5 39/6 42/1 56/3 42/4 42/2 42/6 42/5	0.115 0.161 0.171 0.116 0.146 0.131 0.096 0.052 0.098 0.096 0.027 0.030 0.030 0.067 0.103 0.112 0.067 0.032 0.032
4.	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौराई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।		
5.	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौराई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।		
6.	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।		

क्र. 2623-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 - (ख) तहसील—चॉट
 - (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया माल, ब.नं.-136, प.ह.नं. 42, रा.नि.मंडल-चांद.
 - (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.994 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित	प्रस्तावित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
6/8	0.179
6/5	0.133

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौराई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौराई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौराई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2624-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौंद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-आमाजिरी, ब.नं.-06, प.ह.नं. 26, रा.नि.मंडल-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.798 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकमा
खसरा नम्बर	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

166/1	0.071
166/2	0.060
166/3, 167/1	0.053
166/4, 167/1	0.049
167/9	0.109
167/2, 168/1-3-4	0.194
157/1ख	0.154
157/9	0.113
157/2क, 157/4, 157/8	0.082
152/2, 152/5,	0.165
155/1-2-6-7, 156/3	
152/6, 155/9, 156/4	0.060
152/8, 155/10, 156/5	0.090
150/4, 201/12	0.079
150/2, 201/6	0.048
150/1, 151, 201/4	0.020
149/4-5	0.093
206/2, 207/1-2,	
208/1-2-3-5,	0.319
211/2, 222	
218, 219, 220	0.291
223/3, 224/1-2-3	0.036
241, 242/1	0.016
240/1	0.011
240/2	0.011

(1)	(2)
239	0.012
238	0.005
237/1, 242/2छ	0.025
232, 233	0.021
236	0.008
234/2, 235/2, 242/1घ	0.006
234/1, 235/1	0.020
231	0.010
248/2, 246/2	0.105
230/1-2-3	0.026
229/5, 242/1 T	0.010
229/6	0.010
229/4	0.008
229/1, 229/2, 229/1 T	0.010
229/3	0.008
244/7	0.011
244/3, 248/12	0.205
244/6	0.022
244/2, 244/4	0.026
218, 219, 220	0.010
119/2, 121, 134/7, 134/9	0.056
117, 118, 134/8	0.060
योग . .	<u>02.798</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नंदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevneue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2625-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पांजरा, ब.नं.-162, प.ह.नं. 16, रा.नि.मंडल-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 05.248 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
320/1	0.117	102/1 0.065
320/2	0.139	103/1 0.038
329/1, 330/1,	0.035	103/2 0.226
331/1, 332/2		94/5 0.167
329/2, 330/2,	0.170	87/2, 91, 90/2 0.062
331/2, 332/3		74/4, 99/2 0.113
337, 344	0.230	71/2 0.047
343/3, 346/1,	0.204	70/1 0.034
361/1, 362/1		38/2, 39/2, 40, 41, 42/1, 43, 44, 57, 58/1 0.087
346/2	0.023	45,46,50 0.120
118/5, 340/4, 360/1	0.036	47 0.070
343/1	0.028	48, 49 0.020
359/2	0.068	12, 52/6, 52/8, 54/5 0.022
359/1, 367/1	0.082	11/2, 52/2, 52/5, 54/2 0.026
357/1, 357/2	0.121	52/3, 52/4, 53/4/2 0.058
368/1	0.022	54/3, 54/4
369, 377/2	0.084	53/3 0.060
370/1	0.093	75/1, 75/4 0.016
370/2	0.075	76/1 0.059
371, 372	0.149	76/2 0.051
145/2	0.083	
145/1	0.084	
146/1, 147	0.132	
148/2, 149/2	0.057	
148/1, 149/1	0.074	
		योग . . 05.248

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

है।—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।	(1)	(2)
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।	146/4 156, 157 158/1 159/1 163/3 159/2 225/1 163/4-5 222 219 220/1, 221/1 220/2, 221/2 260, 261, 262	0.101 0.085 0.035 0.048 0.090 0.045 0.098 0.095 0.080 0.093 0.190 0.030 0.156
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।	योग . .	01.444
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।		
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।		

क्र. 2626-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चॉट
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धुटमुरमाल, ब.नं.-142, प.ह.नं. 26,
 रा.नि.मंडल-चांद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.444
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकम
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
147	0.040
146/11	0.080
146/1	0.051
146/5	0.127

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in/> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. 2715-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	157/2
(ख) तहसील—चौरई	157/1
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मोहगांवखुर्द, ब.नं.-240, प.ह.नं. 31, रा.नि.मंडल—चौरई.	156 181/28 198/4 199/1छ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.637 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।	0.020 0.098 0.048 0.032 0.036 0.030 0.030 0.021 0.040 0.070 0.072 0.180

प्रस्तावित प्रस्तावित रकमा

खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

40/2, 40/3, 41/2,	0.060
-------------------	-------

42, 44/4	
----------	--

45	0.020
----	-------

44/6, 46	0.030
----------	-------

165/5, 166/4	0.117
--------------	-------

50/1, 51/1	0.076
------------	-------

54/5	0.010
------	-------

56	0.046
----	-------

57/1	0.112
------	-------

27/2, 28/2, 49/2,	0.030
-------------------	-------

57/8-9-10-11	
--------------	--

22/1	0.150
------	-------

22/2	0.022
------	-------

23	0.044
----	-------

2/2	0.024
-----	-------

2/3	0.056
-----	-------

3	0.010
---	-------

1/1ख, 1/1ग, 1/1 झ,	0.130
--------------------	-------

1/1ज, 4,5,6/1	
---------------	--

12	0.117
----	-------

10/1	0.164
------	-------

15	0.010
----	-------

11	0.008
----	-------

16/1-2-3-4-5	0.084
--------------	-------

165/5, 166/4	0.018
--------------	-------

165/8, 166/7	0.022
--------------	-------

165/7, 166/6	0.036
--------------	-------

165/6, 166/5	0.037
--------------	-------

165/3, 166/2	0.040
--------------	-------

164, 165/1-2, 166/1	0.132
---------------------	-------

158/2, 159/2, 160/2,	0.127
----------------------	-------

161/2, 162/2	
--------------	--

(1)	(2)
-----	-----

157/2	0.070
-------	-------

157/1	0.158
-------	-------

156	0.020
-----	-------

181/28	0.098
--------	-------

198/4	0.048
-------	-------

199/1छ	0.032
--------	-------

198/1	0.036
-------	-------

199/1ग	0.030
--------	-------

199/1च, 199/2	0.030
---------------	-------

199/2 ख, 199/1घ	0.021
-----------------	-------

199/2ग	0.040
--------	-------

200/1, 203/1, 204	0.070
-------------------	-------

200/2, 203/2	0.072
--------------	-------

242/6	0.180
-------	-------

योग . .	02.637
---------	--------

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 1-एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in/> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2716-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोरखा, ब.नं.-237, प.ह.नं. 47,
 रा.नि.मंडल-पांजरा.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.547
 हेक्टेर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियाँ.

(1)	(2)
453/5, 454	0.088
453/7, 455	0.002
549/2, 549/3,	0.010
550/3, 560/5	
549/7, 560/7	0.030
524/4क, 550/2	0.056
553/2	0.068
553/5	0.040
553/6	0.058
524/7	0.003
	योग . . 02.547

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकमा
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
541/1	0.114
542	0.165
562	0.036
532, 544/1, 545	0.220
547/2, 548/2, 549/5	0.068
547/1, 548/1, 549/4	0.034
549/2, 549/3,	0.040
550/3, 560/5	
549/7, 560/7	0.068
524/4क, 550/2	0.058
523	0.096
512/2, 513/1, 514/2	0.122
511	0.052
506/1, 504/1,	0.170
508, 510	
506/2	0.132
500/1, 500/2,	0.036
501/1, 501/2	
500/5, 500/6, 501/4	0.048
475/1, 476/2, 477/1	0.066
474/4, 475/4	0.062
475/3	0.010
474/3, 475/3	0.095
473/1, 473/2,	0.226
474/1, 474/2	
464/1	0.062
472/1	0.035
458/2, 459	0.084
444, 458/1,	0.061
445/1, 446/1	
457/2, 460, 461	0.032

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in/> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौर्झी, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौर्झी, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का, नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2717-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मोहगांव विशाला, ब.नं.-241,
 प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.-कपूर्दा.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.588
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.115
5/2	0.015
7/2, 12, 14	0.176
13	0.038
15/2	0.058
25/1	0.045
30, 31	0.016
32/1	0.125
योग . .	<u>0.588</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की एल-1, माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in/> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2718-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—हसनपुर, ब.नं.-309,
 प.ह.नं.-33, रा.नि.मं.-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.838
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
170/6, 181/4	0.075
195/4-6-7-8-9-10-11,	0.076
197/5-6-7-8-9-10	
194/2-3	0.220
198	0.108
197/2, 197/10	0.085
199/3, 204/1	0.084
199/5	0.045
205	0.145
योग . .	<u>0.838</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 4 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in/> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायी तट नहर उप संभाग क्र. 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2719-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नाम/ग्राम—ग्राम-खैरीखुर्द, ब.नं.-54,
 प.ह.नं.-31, रा.नि.मं.-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.923
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
243/1, 244/1, 247/1	0.060
241/1, 242/1, 248	0.111
241/3, 242/4	0.145
269	0.030
305	0.010
303	0.188
312	0.150
311/2	0.064
313	0.080
300/2	0.048
298	0.005
340/1-2, 341	0.120
332	0.133
370/2	0.110
370/1, 370/3	0.045

(1)	(2)
369/1	0.153
378/2, 379/2, 380/2	0.068
368/5	0.045
386	0.145
367/3, 368/1-2	0.180
384, 385	0.005
389/3	0.085
389/2	0.080
391/1, 392/1, 393/1	0.122
378/2, 379/2, 380/2	0.009
380/1	0.180
374/2, 376/2	0.016
374/3, 375, 376/3	0.204
374/1	0.184
408	0.080
411/4	0.068
योग . .	02.923

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हराहुआ वितरक नहर की 1-एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2720-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(2)	(3)	
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	315/8, 315/11	0.072	
(ख) तहसील—चॉद	332	0.005	
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—करलई, ब.नं.-16, प.ह.नं.-10, रा.नि.मं.-चांद.	325/1, 352/2, 326/1	0.272	
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 04.709 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.	278/1, 278/2 324/2 324/1 322, 323	0.019 0.134 0.192 0.066	
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकमा (हे. में)	286/3 285/2 285/1 284 283 282/2 277 282/1 281 279, 280 276 275/1 275/2 274 273 270/5, 271/5, 272/6, 286/5 294/1 267 265 295 264 263/1 263/2 263/3 296 299, 300, 301 297/2 297/1 298/3 298/2 298/1 315/19 315/14 317 321 322, 323	0.184 0.016 0.027 0.018 0.013 0.008 0.011 0.010 0.011 0.019 0.016 0.013 0.013 0.024 0.022 0.052 0.054 0.002 0.038 0.010 0.010 0.008 0.008 0.016 0.034 0.006 0.017 0.008 0.004 0.006 0.140 0.236 0.006 0.010 0.136

(1)	(2)
319/4, 320/3	0.072
318/2, 320/2	0.040
योग . .	<u>04.709</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौराई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौराई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2721-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौद

(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-सांख ब.नं.-270, प.ह.नं.-7/38, रा.नि.मं.-चांद.
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.258 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।
प्रस्तावित	प्रस्तावित रकम
खसरा नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
5/3	0.012
5/2	0.028
7/1	0.030
7/2	0.020
7/3	0.015
11/1, 12/1	0.142
11/2, 12/2	0.122
13/1	0.088
153/1	0.096
13/2	0.084
152/2, 153/3, 155/4	0.020
13/3	0.042
159/4	0.006
159/12	0.012
159/3	0.016
159/10	0.054
112/1	0.008
153/6, 154/1	0.024
153/8, 154/2	0.018
152/1, 153/4, 155/1	0.018
152/3, 153/5, 155/5	0.018
153/4, 153/9, 155/6	0.020
153/7	0.008
111/2	0.006
113	0.006
153/10	0.076
114	0.022
112/2	0.008
111/1	0.006
111/3	0.006
110/1, 110/2	0.013
108	0.004
102, 103/2, 106, 107	0.120
91/3	0.008
91/4	0.038
87/1	0.020

(1)	(2)
87/2	0.020
87/3	0.004
योग . .	<u>01.258</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevneue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगमा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2722-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 - (ख) तहसील—चौंद

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवरीरेयत, ब.न.-2/24, प.ह.न.-8/26, रा.नि.मं.-चांद।
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1, 1/2	0.168
1/3, 1/4	0.130
5,6/1	0.186
6/2, 8/3	0.036
6/3	0.032
6/4	0.061
8/7	0.184
8/1क	0.165
8/1ख	0.123
11/6	0.012
14/5	0.060
14/6, 14/8, 14/9	0.050
14/2	0.146
14/7, 14/10	0.264
योग . .	<u>01.617</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल वितरक नहर की 2 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevneue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2723-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चाँद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-आमाझिरी, ब.न.-06, प.ह.न.-12, रा.नि.मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 0.563 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
63/1	0.078
66/5, 67/2	0.100
68/1ग	0.042
68/2	0.060
68/1छ, 68/1 ज, 68/2 ड	0.120
67/1 ख, 73/2	0.023
72/3	0.140
योग . .	<u>0.563</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 07 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकारण का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2724-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चाँद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कुकरई ब.न.-22, प.ह.न.-11, रा.नि.मं.-पांजरा,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 03.548 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
327	0.408
329/3	0.012
329/4	0.080
328	0.212
337/1, 338/1	0.068
2	0.068
1/5	0.132
5/2, 9/2	0.048
327	0.152
326/1	0.012
228	0.092
230/4	0.080
227	0.006
221/3, 222/1	0.082
222/6	0.036
223/2	0.048

(1)	(2)
222/5	0.040
223/3	0.052
224/6, 225/2	0.104
233, 235	0.070
222/2, 223/1	0.072
216, 215/4	0.180
194/1	0.030
89	0.024
84, 87, 96/2	0.016
91/4, 93/4	0.068
96/4	0.084
94/1, 95/1	0.116
194/1	0.148
194/5	0.150
193/4	0.016
193/3	0.018
193/2	0.020
193/1	0.008
261/11	0.058
261/12	0.080
261/10	0.060
261/13	0.032
261/1, 261/2	0.038
261/4	0.012
196/3	0.016
261/3	0.014
261/7	0.038
261/8	0.024
261/5	0.024
261/6	0.032
257/14	0.044
264/1	0.072
264/2	0.120
257/4, 257/6	0.132
योग . .	<u>03.548</u>

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांधी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevuevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौराई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौराई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2725-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—देवरीमाल, ब.न.-131 प.ह.न.-8/26, रा.नि.मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 07.027 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
5/2, 6/2, 7/3	0.030
4/2, 9/1	0.051
4/3	0.066
7/5, 33/3	0.092
4/4, 9/2	0.054
7/6, 33/4	0.064
1/9, 2/4, 11/3	0.002
14/2, 14/4, 15/5-6-7	0.020
4/1	0.013
2/2	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
14/3, 15/4	0.100	180/1	0.072
1/7, 2/3, 11/1	0.116	180/1ख	0.152
14/1, 15/1-2-3	0.015	218, 219, 220	0.170
12/2, 24/2, 25/2, 84/4-5	0.002	450	0.011
16/1, 17/1	0.008	454	0.010
21/1, 22/1	0.145	222/1, 223/1	0.130
16/2, 17/2, 18/10	0.002	260/6	0.094
16/4, 18/3	0.057	258/1	0.058
19	0.016	256, 255	0.123
99/2, 99/4	0.242	451	0.015
100/1	0.030	455	0.012
101, 102	0.128	452	0.009
114, 115, 116	0.204	453	0.009
117/1, 118/1	0.134	499, 496	0.064
119/1 ख, 120/2 ख	0.144	254, 251, 252	0.048
111/1	0.040	253	0.032
117/8, 118/8	0.088	459/2, 460/2,	0.032
111/3	0.032	461/3, 462/1	
117/7, 118/7	0.054	459/6	0.024
120/4	0.076	459/5, 461/8, 463/8	0.034
112/3, 121/1ख, 122/1T	0.050	461/4	0.028
117/6, 118/6	0.032	460/1, 461/2	0.064
121/2 ख, 313/5	0.036	461/3/1	0.016
313/4, 315/1	0.088	465/3	0.080
307/3, 308/2, 309/3	0.048	479/2	0.012
305/2, 307/2	0.064	473/2, 474/2, 475/2,	0.036
316/3	0.032	476/2, 477/2	
316/4	0.144	464/2	0.022
327	0.104	480/2, 481/2	0.076
49/7, 52/2	0.032	503/1	0.036
52/2, 56/5	0.096	480/1, 481/1	0.090
54/10-11, 55, 56/7-8	0.090	480/5	0.072
54/3, 56/2, 57, 58/1	0.058	490/1	0.004
54/8, 58/2	0.150	490/6	0.036
154	0.080	490/3-4	0.044
180/2	0.060	490/5	0.034
180/ 1 ग, 181/1,	0.080	490/2	0.028
182/1, 228/1		503/2	0.042
180/1 घ, 229	0.072	500, 495	0.020
180/1 ज, 181/2,	0.052	497, 498	0.026
182/3, 288/3		507/6	0.100
		507/2	0.050
		507/13	0.058

(1)	(2)
507/7, 507/9	0.052
507/4, 507/8	0.036
507/3, 507/4, 509	0.068
551	0.072
554/1	0.028
554/4	0.028
554/3	0.044
554/2	0.070
556/2	0.136
556/6	0.050
556/1	0.008
556/4	0.074
564/2	0.152
563	0.024
564/1 क	0.060
564/1 ख	0.056
569/1	0.056
569/2	0.108
597/2, 598/1	0.088
592/1	0.025
237/2, 237/6, 238/3, 238/2	0.104
238/1	0.102
602/3	0.020
योग . .	07.027

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—येंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 7-आर टेल वितरक नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन कौं जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौर्झी, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, येंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौर्झी, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, येंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

रा.मा.प्र.क्र. 4अ-82 वर्ष 2014-15 पत्र क्र. 126-भू-अर्जन-2015.—चौक, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—तेंदुखेड़ा
- (ग) ग्राम—हीरापुर, प. ह. नं. 24,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.171 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर)

(1)	(2)
564/2	0.548
564/3	0.429
564/5	0.154
564/6	0.041
564/7	0.245
564/8	0.404
565/2	0.012
566	0.627
567/2	0.031
567/5	0.030
567/6	0.081
567/7	0.254
575	0.315
योग . .	3.171

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम—महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर।

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जल परिवहन के लिये पंप हाउस व वेयर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय (कक्ष क्र. 84) कलेक्टर नरसिंहपुर में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 30 सितम्बर 2015

प्र.क्र.3-अ-82-2012-13.—शुद्धिपत्र खर्राधाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम अगोरा, तहसील व जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग-1 में 16 जनवरी 2015 को एवं समाचार पत्र स्वदेश ग्वालियर में दिनांक 18 जनवरी 2015 को (जी. नं. 22913/15) एवं उदयदेश में दिनांक 20 जनवरी 2015 को (जी. नं. 22913/15) को हुआ था। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

अनुसूची

प्रकाशन जिसमें हुआ	सर्वे क्रमांक	पूर्व प्रकाशित रकबा	सही संशोधित रकबा
म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 16 जनवरी 2015	863/1	0.13 है।	0.23 है।
म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 16 जनवरी 2015	863/2	0.23 है।	0.13 है।
स्वदेश ग्वालियर दिनांक 18 जनवरी 2015	863/1	0.13 है।	0.23 है।
स्वदेश ग्वालियर दिनांक 18 जनवरी 2015	863/2	0.23 है।	0.13 है।
उदयदेश में दिनांक 20 जनवरी 2015	863/1	0.13 है।	0.23 है।
उदयदेश में दिनांक 20 जनवरी 2015	863/2	0.23 है।	0.13 है।

उक्त उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा पूर्ववत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 220-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—पन्ना
 - (ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—खुसरा, प.ह.नं. 26	(1)	(2)	(3)
(घ) क्षेत्रफल—2.68 हेक्टेयर.	979	0.03	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
49	0.04	निजी भूमि	738 0.02
58	0.05	निजी भूमि	471 0.02
59	0.06	निजी भूमि	490 0.01
60	0.08	निजी भूमि	529 0.03
752	0.01	निजी भूमि	472/1 0.01
821	0.01	निजी भूमि	472/2 0.01
924	0.04	निजी भूमि	531 0.01
80	0.01	निजी भूमि	532 0.01
97/1	0.01	निजी भूमि	522 0.01
99	0.04	निजी भूमि	523 0.01
100	0.03	निजी भूमि	751 0.06
101/1	0.01	निजी भूमि	528 0.02
524	0.02	निजी भूमि	530 0.01
564	0.02	निजी भूमि	565 0.02
97/2	0.01	निजी भूमि	617 0.04
101/2	0.02	निजी भूमि	609 0.05
106	0.01	निजी भूमि	610 0.05
107	0.02	निजी भूमि	616 0.03
108	0.03	निजी भूमि	619/2 0.01
105	0.05	निजी भूमि	620 0.01
111	0.01	निजी भूमि	619/1 0.01
121	0.04	निजी भूमि	680 0.04
150	0.02	निजी भूमि	686 0.02
123	0.03	निजी भूमि	699 0.02
149	0.02	निजी भूमि	702/1 0.01
144/1	0.02	निजी भूमि	702/2 0.01
473/2	0.01	निजी भूमि	703 0.03
475/1	0.06	निजी भूमि	704 0.08
144/2	0.01	निजी भूमि	705 0.01
473/1	0.01	निजी भूमि	934 0.03
475/2	0.04	निजी भूमि	706 0.03
145	0.07	निजी भूमि	709 0.04
148	0.03	निजी भूमि	712 0.03
151	0.01	निजी भूमि	713 0.02
936	0.03	निजी भूमि	737 0.04
941	0.03	निजी भूमि	745 0.02
940	0.01	निजी भूमि	746 0.03
978	0.01	निजी भूमि	750 0.01
			818 0.02
			822 0.03

(1)	(2)	(3)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—
710	0.01	निजी भूमि	
823	0.03	निजी भूमि	
711	0.01	निजी भूमि	
826	0.05	निजी भूमि	
912	0.04	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—
927	0.05	निजी भूमि	(क) जिला—रीवा
928	0.01	निजी भूमि	(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
935	0.03	निजी भूमि	(ग) ग्राम—सुरसा खुर्द 610
913	0.01	निजी भूमि	(घ) क्षेत्रफल — 1.642 हेक्टेयर.
922	0.02	निजी भूमि	खसरा नं. अर्जित रकबा
923	0.02	निजी भूमि	(हे. में)
944	0.02	निजी भूमि	(2)
975	0.02	निजी भूमि	अ-निजी पट्टे की भूमि
981	0.01	निजी भूमि	374 0.072
983	0.02	निजी भूमि	373 0.037
50	0.01	निजी भूमि	372 0.069
984	0.05	निजी भूमि	371 0.104
985	0.01	निजी भूमि	403 0.058
1011/6	0.02	निजी भूमि	404 0.001
683	0.07	निजी भूमि	405 0.082
684	0.03	निजी भूमि	420 0.047
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.68		409 0.135
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			347 0.001
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.			346 0.002
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			343 0.049
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			325 0.118
रीवा, दिनांक 18 मार्च 2016			314 0.001
क्र. 897-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और			315 0.037
			168 0.183
			167 0.012
			169 0.002
			68 0.076
			67 0.003
			69 0.019
			66 0.016
			65 0.002
			410 0.059
			341 0.084
			342 0.079
			337 0.086

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
50/1		0.043	1183	0.048
50/2			1031	0.005
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	<u>1.205</u>		1030	0.105
ब-म. प्र. शासन की भूमि			1027	0.001
अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग	<u>0.000</u>		1028	0.102
अ + ब का योग	<u>1.205</u>		1026	0.025
			1168	0.074
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।		1092	0.080	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।			1089	0.069
क्र. 901-प्रका.—भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		1088	0.045	
			1077	0.043
			1076	0.054
			1074	0.061
			1059	0.041
			1060	0.077
			1062	0.041
			1063	0.071
			72/1455	0.008
			73	0.026
			74	0.008
			75	0.009
			70	0.016
			83	0.017
			69	0.016
			84	0.008
			35	0.006
(1) भूमि का वर्णन—			36	0.024
(क) जिला—रीवा			34	0.007
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान			22	0.010
(ग) ग्राम—जोगिनहाई 214			18	0.017
(घ) क्षेत्रफल —6.760 हेक्टेयर.			21	0.014
खसरा नं.		अर्जित रकमा	20	0.001
		(हे. में)	9	0.015
(1)	(2)		10	0.012
अ-निजी पट्टे की भूमि			7	0.015
1170	0.038		1210	0.017
1169	0.076		1029	0.012
1167	0.100		1211	0.008
1171	0.038		1209	0.036
1177	0.053		1212	0.014
1178	0.058		1345	0.020
1179	0.062		1206	0.009
1180	0.081		1362	0.006
1185	0.042		1361	0.006
1182	0.084		680	0.125

(1)	(2)	(1)	(2)
679	0.176	1360	0.011
680	0.125	1349	0.030
679	0.176	1350	0.010
678	0.022	1389	0.026
676	0.098	1336	0.002
405	0.647	1337	0.006
402	0.024	1332	0.014
400	0.234	1214	0.008
399	0.007	1217	0.006
397	0.131	428	0.053
389	0.201	376	0.001
390	0.097	381	0.140
387	0.006	379	0.001
161	0.073	378	0.148
160	0.136	375	0.006
710	0.207	369	0.001
711	0.118	368	0.080
712	0.054	367	0.068
714	0.106	1213	0.001
728	0.006	1215	0.002
727	0.304	1331	0.022
726	0.009	401	0.001
722	0.142	1061	0.001
724	0.121	1058	0.001
723	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग	
382	0.001	<u>6.659</u>	
186	0.132	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
189	0.007	575	0.037
190	0.207	403	0.014
192	0.069	404	0.001
196	0.103	719	0.023
197	0.022	191	0.013
198	0.129	122	0.011
199	0.055	681	0.002
124	0.076	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग	
124/1448	0.094	<u>0.101</u>	
132	0.003	अ +ब का योग	
132/1450	0.042	<u>6.760</u>	
120	0.022		
121	0.014		
108	0.012		
111	0.013		
110	0.006		
109	0.018		
1346	0.009		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 903-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुड़
- (ग) ग्राम—नरहा 310
- (घ) क्षेत्रफल —0.852 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

438	0.033
436	0.006
437	0.019
431	0.061
428	0.044
424	0.044
423/1	0.032
423/2	
419/1	0.183
419/2	
199	0.130
86	0.002
147	0.095
425	0.011
422	0.027
421	0.042
144	0.014
143	0.001
145	0.022
148/1	
148/2	0.032
148/3	
420	0.013
131	0.032

	(1)	(2)
132		0.005
133		0.001
134		0.001
67		0.002

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.852

ब-म. प्र. शासन की भूमि

अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 1” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 905-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर-कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—झाँझर 215
- (घ) क्षेत्रफल —0.752 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकमा (हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

72/1	
72/2	0.009
70	0.089
74	0.004
63	0.006
64	0.305
62	0.048
66	0.002

(1)	(2)	(2)
34	0.006	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
36	0.014	
35/253	0.007	
57	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
58	0.089	
59	0.015	
35	0.109	
60	0.010	पत्र क्र. 911-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
62	0.002	
63	0.005	
65	0.011	
66	0.007	
69	0.004	
70	0.005	
71	0.003	
72	0.004	
73	0.005	
74	0.020	
112	0.002	
111	0.007	
109	0.007	
107	0.021	
207	0.007	
106	0.002	खसरा नं.
209	0.015	अर्जित रकमा
104	0.002	(हे. में)
210	0.001	
213	0.012	(1) (2)
212	0.001	अ-निजी पट्टे की भूमि
224	0.014	
225	0.002	1335 0.093
223	0.003	1370 0.001
222	0.005	1373 0.001
221	0.001	1385 0.029
220	0.016	1384 0.002
237	0.001	1334 0.006
239	0.008	1333 0.241
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.721	1332 0.010
		1331 0.103
		1328 0.057
		1324 0.072
		1325 0.076
		1307 0.010
		1310 0.053
		1309 0.050
		1308 0.071
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.011	1313 0.018
अ +ब का योग . .	0.732	

(1)	(2)	अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
1288	0.090	अनुसूची
1289	0.083	
1290	0.003	
1284	0.083	(1) भूमि का वर्णन—
714	0.001	(क) जिला—रीवा
716	0.120	(ख) तहसील—मनगवां
670	0.007	(ग) ग्राम—महुली 496
720	0.242	(घ) क्षेत्रफल —0.407 हेक्टेयर.
721	0.013	
568	0.081	खसरा नं. अर्जित रकमा (हे. में)
1336	0.074	(1) (2)
1368	0.028	अ-निजी पट्टे की भूमि
1369	0.127	
1090	0.056	260 0.223
1089	0.045	254 0.055
1091	0.007	253 0.005
1088	0.080	246 0.032
1082	0.083	245 0.004
1339	0.034	242 0.001
1285	0.007	233 0.026
569	0.060	226 0.018
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.217</u>	225 0.002
		224 0.023
		223 0.001
		221 0.001
		234 0.016
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . <u>0.407</u>
		ब-म. प्र. शासन की भूमि
1092	0.082	
1085	0.003	
1083	0.007	
1084	0.064	
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.156</u>	
अ +ब का योग . .	<u>2.373</u>	
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	
अ +ब का योग . .	<u>0.407</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 913-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

पत्र क्र. 915-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कुर्चलियान
(ग) ग्राम—मिसिरा 528
(घ) क्षेत्रफल —0.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
8	0.087
7	0.021
6	0.009
5	0.091
21	0.231
31	0.016
30	0.080
29	0.005
66	0.003
71	0.027
73	0.005
74	0.043
75	0.004
76	0.023
50	0.011
65	0.043
64	0.002
69	0.030
70	0.004
72	0.001
52	0.036
53	0.002
51	0.025
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.568

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000
अ + ब का योग . . 0.568

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत अग्निलक्षी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
 - (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्बास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 917-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—रायपुर कुर्चलियान
 (ग) ग्राम—कुइया कला 90
 (घ) क्षेत्रफल — 1.681 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1746	0.121
1808	0.048
1795	0.095
1797	0.024
1796	0.059
1791	0.001
1789	0.030
1391	0.062
1388	0.003
1389	0.041
1390	0.027
1395	0.024
1396	0.008
1383	0.053
1384	0.003
1398	0.033
1399	0.070
1400	0.054
1402	0.054
1403	0.023
1404	0.006
1411	0.104
1412	0.006
1414	0.057
1415	0.003

(1)	(2)	(1)	(2)
1417	0.001	933	0.004
1420	0.037	934	0.004
1419	0.045	936	0.001
1418	0.030	937	0.004
1473	0.022	912	0.009
1474	0.018	939	0.009
1475	0.032	1381	0.002
1472	0.028	1382	0.052
1471	0.020	1367	0.018
1477	0.011	1364	0.018
1478	0.036	1360	0.088
1470	0.009	1422	0.034
1469	0.005	1421	0.038
1468	0.005	1711	0.006
1467	0.041	1673	0.003
1460	0.035	1671	0.022
1459	0.004	1669	0.026
943	0.007	1668	0.016
944	0.009	1476	0.002
904	0.013	1457	0.001
955	0.006	1453	0.003
903	0.004	1451	0.004
1439	0.024	1067	0.001
1455	0.009	1049	0.019
1456	0.003	986	0.002
1454	0.003	940	0.002
1509	0.005	987	0.001
1524	0.006	1048	0.025
1450	0.011	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.044
1525	0.004		
1531	0.002	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
1532	0.024	1672	0.015
1533	0.020	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.015
1547	0.003	अ + ब का योग . .	2.059
1544	0.005		
1542	0.006	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.	
1543	0.006		
1541	0.002		
1047	0.007	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1046	0.002		
985	0.005		
984	0.003		
983	0.007		
935	0.011		
931	0.003		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 919-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	(1)	(2)
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	790 775 777 776 768 767 751 752 753 746 745 1097 1106 636 637 646 307 268 264 263 140 141 142 143 150 151 152 154 157 170 228 214 227 218 217 216 204 312 316 321 322 323 335 333	0.001 0.019 0.029 0.139 0.007 0.173 0.093 0.004 0.171 0.022 0.021 0.002 0.060 0.083 0.069 0.187 0.205 0.263 0.003 0.212 0.004 0.081 0.127 0.094 0.071 0.030 0.039 0.224 0.149 0.167 0.056 0.035 0.060 0.002 0.058 0.060 0.184 0.171 0.102 0.022 0.022 0.036 0.130 0.010
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—रीवा	745	0.021
(ख) तहसील—रायपुर कुर्चलियान	1097	0.002
(ग) ग्राम—बेरही 400	1106	0.060
(घ) क्षेत्रफल —7.748 हेक्टेयर.	636	0.083
खसरा नं.	अर्जित रकमा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि		
986	0.059	263
1061	0.016	140
1052	0.118	141
1051	0.010	142
1053	0.090	143
1049	0.102	150
1045	0.077	151
1044	0.077	152
994	0.001	154
995	0.254	157
996	0.010	170
1030	0.022	228
998	0.001	214
1029	0.011	227
999	0.113	218
1000	0.013	217
1001	0.136	216
1002	0.002	204
815	0.012	312
816	0.018	316
783	0.130	321
786	0.082	322
787	0.026	323
791	0.003	335
789	0.107	333

(1)	(2)	(1)	(2)
332	0.068	310	0.008
330	0.009	311	0.070
329	0.009	749	0.006
328	0.040	462	0.002
347	0.003	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>7.589</u>
358	0.059		ब-म. प्र. शासन की भूमि
359	0.093		
360	0.227	788	0.010
362	0.020	261	0.079
361	0.035	184	0.028
364	0.093	9	0.013
363	0.012	422	0.029
365	0.002	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.159</u>
368	0.144	अ +ब का योग . .	<u>7.748</u>
367	0.005		
366	0.155	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 एवं 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु,	
382	0.184		
392	0.139	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
391	0.006		
390	0.089		
389	0.072		
396	0.021		
449	0.023		
450	0.007		
451	0.013		
452	0.023		
453	0.063		
436	0.077		
457	0.004		
456	0.047		
460	0.013		
461	0.055		
463	0.010		
645	0.153		
305	0.010		
306	0.016		
302	0.059		
303	0.001		
301	0.003		
298	0.176		
293	0.001		
295	0.072		
294	0.001		
269	0.004		
		खसरा नं.	अर्जित रकमा
			(हे. में)
		(1)	(2)
		अ-निजी पट्टे की भूमि	
			1528/1 0.002
			1528/2

(1)	(2)	(1)	(2)
1545	0.021	945	0.072
1527	0.027	932	0.262
1556/1	0.052	938	0.103
1556/2		937	0.160
1555	0.040	936	0.060
1554	0.045	869	0.046
1553	0.074	870	0.055
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.261</u>	876	0.020
		873	0.034
ब-म. प्र. शासन की भूमि		872	0.205
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	826	0.084
अ +ब का योग . .	<u>0.261</u>	825	0.097
		727	0.026
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।		728	0.083
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		726	0.002
		729	0.102
		723	0.012
		705	0.039
		704	0.152
		703	0.013
		694	0.068
		693	0.039
		635	0.014
पत्र क्र. 923-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—		633	0.077
		582	0.001
		584	0.105
		587	0.029
		588	0.019
		589	0.067
		590	0.058
		539	0.051
		538	0.062
		536	0.041
(1) भूमि का वर्णन—		524	0.027
(क) जिला—रीवा		525	0.058
(ख) तहसील—रायपुर कर्वलियान		526	0.086
(ग) ग्राम—सुरसा कला 609		492	0.036
(घ) क्षेत्रफल —4.088 हेक्टेयर.		501	0.087
खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)	500	0.041
(1)	(2)	493	0.090
अ-निजी पट्टे की भूमि		494	0.008
951	0.015	216	0.106
947	0.031	215	0.009
946	0.079	214	0.031

(1)	(2)	ब-म. प्र. शासन की भूमि
213	0.025	578 0.018
210	0.064	ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.018
193	0.109	अ +ब का योग . . 4.088
194	0.012	
197	0.094	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
198	0.002	
196	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
199	0.095	
200	0.018	
133	0.031	
132	0.077	
131	0.001	
130	0.007	
129	0.092	
128	0.007	
127/980	0.066	पत्र क्र. 925-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है।
502	0.004	
498	0.037	
505	0.014	
504	0.010	
506	0.022	
497	0.101	
186	0.002	
125	0.033	
127	0.011	
126	0.001	
72	0.004	
73	0.001	
76	0.018	
124	0.009	
78	0.018	
116	0.015	
90	0.021	
115	0.002	
91	0.013	21/1/क 21/1/ख 0.060
89	0.004	
86	0.001	21/2
92	0.005	21/3
94	0.016	21/4
93	0.020	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.060
97	0.005	
114	0.001	
96	0.001	
155	0.011	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.070	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
- (ग) ग्राम—लेडुआ 573
- (घ) क्षेत्रफल —0.060 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकम
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

21/1/क	
21/1/ख	0.060
21/2	
21/3	
21/4	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.060

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.060

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
611	611	0.003
610	610	0.019
606	606	0.002
605	605	0.005
616	616	0.014
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		0.889

ब-म. प्र. शासन की भूमि		
631	631	0.034
643	643	0.002
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		0.036
अ +ब का योग . .		0.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—“बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 21 मार्च 2016

पत्र क्र. 933-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) ग्राम—अतरहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.469 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)	(1)	(2)
----------	-----------------------	-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

1376	0.291
1375	0.044
1374	0.305
1369	0.012
1366	0.030
1364	0.001
1363	0.006
1367	0.010
1362	0.022
1368	0.007
1361	0.013
642	0.019
641	0.024
640	0.025
632	0.015
630	0.008
628	0.007
615	0.007

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)	(1)	(2)
----------	-----------------------	-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

6	0.235
8	0.192

(1)	(2)
9	0.018
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.445
ब-शासकीय भूमि	
7	0.024
योग . .	0.024
महायोग . . (अ + ब)	0.469

(1)	(2)
362	0.072
375	0.146
364	0.032
373	0.039
366	0.065
367	0.034
368	0.040
369	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।—बाणसपागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अंदर माइनर नहर के निर्माण में आवे वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 935-प्रश्ना-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर
 (ग) ग्राम—अबेर कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.038 हेक्टेयर.

ਖਸਰਾ ਨं.	ਅਰਜਿਤ ਰਕਬਾ	ਰਿਮਾਰਕ
	(ਹੇ. ਮੈਂ)	
(1)	(2)	(3)

अ-निजी पटटे की भूमि

334	0.048	रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण
329	0.077	कार्य हेतु भूमि अर्जन.
328	0.072	
327	0.120	
325	0.036	
324	0.125	
357	0.096	
361	0.012	

39	0.216	अबर माइनर नहर नमाण
38	0.015	कार्य हेतु भूमि अर्जन.
50	0.014	
49/2	0.014	
51	0.022	
52	0.022	
54	0.036	
55	0.036	

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—कोटर
 (ग) ग्राम—इटौर कोठार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.822 हेक्टेयर

ਖੱਸਰਾ ਨं.	ਅਰਜਿਤ ਰਕਬਾ	ਰਿਮਾਰਕ
(1)	(2)	(3)

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
56	0.022		1478	0.129	
57	0.022		1479	0.076	
60	0.048		1475	0.010	
61	0.038		1448	0.043	
63	0.058		1447	0.038	
65	0.038		1446	0.024	
67	0.079		1445	0.024	
73/1/1	0.012		1444	0.024	
73/1/2	0.012		1443	0.024	
68	0.036		1412	0.043	
72	0.024		1411	0.005	
69	0.024		1352	0.007	
17/1	0.022		1353	0.007	
16	0.012		1354	0.006	
योग . .	<u>0.822</u>		1355	0.014	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.		1350	0.012	
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		1349	0.010	
	पत्र क्र. 939-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में डचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		1357	0.014	
	अनुसूची		1358	0.014	
(1)	भूमि का वर्णन—		1360	0.017	
(क)	जिला—सतना		1361	0.041	
(ख)	तहसील—कोटर		1328	0.005	
(ग)	ग्राम—अबेर कोठार		1327	0.072	
(घ)	क्षेत्रफल लगभग —4.110 हेक्टेयर.		1050	0.055	
खसरा नं.	अर्जित रक्खा	रिमार्क	1052	0.042	
	(हे. में)		1051	0.125	
(1)	(2)	(3)	1049	0.082	
			1029	0.027	
			1030	0.043	
			1032	0.010	
			1033	0.026	
			1034	0.054	
			1036	0.029	
			1037	0.082	
			996	0.084	
			995	0.026	
			994	0.017	
			998	0.010	
			993	0.010	
			776	0.036	
			777	0.048	
			778	0.048	
			783	0.048	
1691	0.115	अबेर माइनर नहर निर्माण			
99	0.010	कार्य हेतु भूमि अर्जन.			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
784	0.038		3562	0.029	
786	0.024		3564	0.017	
731	0.055		3565	0.026	
737	0.027		3567	0.186	
732	0.008		3566	0.010	
735	0.046		3553	0.058	
733	0.050		3552	0.006	
734	0.086		अ-निजी पट्टे की		<u>4.040</u>
693	0.195		भूमि का योग		
692	0.020			ब-शासकीय भूमि	
673	0.106		1378/1473		0.030
672	0.012		1048		0.016
671	0.137		694		0.024
670	0.017		ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		<u>0.070</u>
651	0.101		महायोग (अ + ब)		<u>4.110</u>
654	0.019				
666	0.043		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,		
665	0.020		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
664	0.077				
3477	0.245		पत्र क्र. 941-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
3478	0.012				
3479	0.108				
3484	0.077				
3486	0.015				
3487	0.036				
3488	0.024				
3489	0.015				
3490	0.048				
3497	0.007				
3498	0.067				
3500	0.015				
3559	0.136			अनुसूची	
3560	0.048			(1) भूमि का वर्णन—	
3561	0.007			(क) जिला—सतना	
3558	0.043			(ख) तहसील—कोटर	
				(ग) ग्राम—रजरवार पैपखार	

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.414 हेक्टेयर.

(घ) क्षेत्रफल लगभग —5.089 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	रिमार्क	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)				
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)				
अ-निजी पट्टे की भूमि								
107	0.091	रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण	2/1	0.227				
108	0.322	कार्य हेतु भूमि अर्जन.	2/3/क	0.126				
129	0.139		2/4	0.230				
128	0.168		154/1/क	0.020				
134	0.398		233/866/1	0.405				
168	0.019		304	0.138				
169	0.113		312	0.028				
641	0.029		318	0.125				
638	0.106		323/1	0.089				
637	0.029		344/2/क	0.741				
योग . .	<u>1.414</u>		366/1/क	0.070				
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.							
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.							
पत्र क्र. 947-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—								
अनुसूची								
(1)	भूमि का वर्णन—				योग . .	<u>5.089</u>		
(क)	जिला—उमरिया							
(ख)	तहसील—मानपुर							
(ग)	ग्राम—भोलगढ़							

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.